


विष्णु है यह है,

इसे उच्चत उत्पात जैका न एनाएँ



— श्रीराम शर्मा आचार्य

# विवाह यज्ञ है, इसे उद्घत उत्पात जैसा न बनाएँ



लेखक :

वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पं. श्रीराम शर्मा आचार्य



प्रकाशक :

युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट

गायत्री तपोभूमि, मथुरा

फोन : (०५६५) २५३०१२८, २५३०३९९

मो. ०९९२७०८६२८७, ०९९२७०८६२८९

फैक्स नं०- २५३०२००

२०१०

मूल्य : ९.०० रुपये

दहेज तथा खर्चोंले विवाह हिन्दू समाज में फैली बेर्डमानी और स्वार्थपरता के आधारभूत कारणों में से हैं। ईमानदारी से तो गुजारे लायक सीमित आमदनी ही हो सकती है। अतिरिक्त धन जमा करना है तो चोरी, बेर्डमानी, ठगी, अनीति तथा शरीर और मन को घुला डालने वाली किफायतशारी के अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं रह जाता। इस कुचक्र में पड़े हुए लोग अपना शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य-संतुलन खोते चले जा रहे हैं।

# विवाहिक कुरीतियों से समाज को बचाइए

विवाह मानव समाज की एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था है। कहा जाता है कि संसार में एक समय ऐसा था जब गनुष्ठ पशुओं की तरह निवास करता था, उन्हीं की तरह रहता था। उसे न माता-पिता का ज्ञान रहता था और न भाई-बहन का बोध। उस समय वह पशुओं की अपेक्षा भी हीन स्थिति में रहता था, क्योंकि उसमें न हाथी के समान बल था और न शेर के समान तेज ढाँत तथा नारखून। न उनका शरीर गेंडा के समान कठोर ढालों से सुरक्षित था और न ही वह अन्य किसी प्रकार अपनी आत्म-रक्षा कर पाता था। इतना होने पर भी उसमें एक ऐसी सहयोगी बुद्धि और संगठन की प्रवृत्ति अवश्य थी, जिसका सहारा लेकर वह पशुओं पर विजय पा लेता था और अपनी रक्षा और बुद्धि में समर्थ होता था। पर उस समय भी किसी नियत घर, भोजन और वस्त्रों की स्थायी व्यवस्था न होने से मनुष्य समुदाय बनाकर बड़ी गुफाओं या घने पेड़ों में निवास करते थे। उस अवस्था में परिवार का निर्माण न होने से स्त्री-पुरुषों में पाये जाने वाले आजकल के से रिश्तों का अस्तित्व नहीं था और समूह की सब स्त्रियाँ सभी पुरुषों की पत्नियाँ समझी जाती थीं तथा उनसे उत्पन्न लड़के-लड़की भी समुदाय की संतान माने जाते थे। महाभारत में एक उपाख्यान आता है कि इस व्यवस्था की खराबियों को देखकर श्वेतकेतु नामक सामाजिक नेता ने विवाह-प्रणाली की स्थापना की और तभी से वर्तमान कुटुम्ब-व्यवस्था का श्री गणेश हुआ।

इसमें संदेह नहीं कि विवाह-प्रथा ने मानव-समाज को सुसंगठित और विकसित बनाने में महत्त्वपूर्ण योग दिया है और इसके कारण मनुष्य बड़े-बड़े परिवारों में सम्मिलित होकर सहयोग की भावना को बहुत अधिक बढ़ाकर महत्त्वपूर्ण कार्यों का संपादन कर सका है। इसीलिए भारतीय मनीषियों ने विवाह को एक धर्म-कृत्य का रूप देकर घोषणा की कि पति-पत्नी संबंध सुनिश्चित और पवित्र माना जाय और वे जीवन-क्षेत्र में इस प्रकार एकात्म भाव से कार्य कर सकें कि उनकी शक्ति एक और एक मिलकर ग्यारह के बराबर हो जाय। आगे

[ ४ ] विवाह यज्ञ है इसे उद्घात जैसा न बनाएँ !

चलकर यह परिवार ही जाति का आधार बन गया और उन्हीं राष्ट्रों की रचना हुई।

इस प्रकार से विवाह का प्रचार होने पर भिन्न-भिन्न प्रदेशों में स्थानीय परिस्थिति के अनुसार उसके रस्म-रिवाजों में कुछ अंतर तो अवश्य रहा, पर उसका मुख्य रूप यही रहा कि कन्या का पिता किसी सुयोग्य वर को देखकर पुरोहित द्वारा कुछ धार्मिक कृत्य कराके अपनी कन्या को वर के लिए अर्पण कर देता था और साथ में उन्हें कुछ अन्न, वस्त्र, बर्तन आदि अपनी गृह-सामग्री में से दे देता था, जिससे उनको अपने निर्वाह की व्यवस्था बनाने में सुविधा हो। प्राचीन स्मृतियों तथा पुराणों के उपाख्यानों में विवाह प्रणाली का जो वर्णन मिलता है उसमें कहीं विवाह के पहले दहेज की रकम तय करने, बड़ी-बड़ी बरात में जाने, कई-कई दिन तक नाच-गान और दावतें होने का जिक्र नहीं है। उनमें हवन करके देवताओं की साक्षी में वैवाहिक प्रतिज्ञायें करने का विधान विस्तारपूर्वक अवश्य दिया गया है, पर तरह-तरह के अलन-चलन, नेग-जोग और खर्चीले आडंबरों का उल्लेख कहीं नहीं पाया जाता। अगर कुछ काव्यों और महाकाव्यों में बढ़ा-चढ़ाकर उनका वर्णन भी किया गया है तो वह पिछले कवियों की रचना है जो उन्होंने अपने समय की परिस्थिति को देखकर तदनुसार गढ़ डाली है।

विवाह की अधिकांश रस्मों का सामयिक होना इससे भी प्रकट है कि वे विभिन्न प्रदेशों और इलाकों में अलग-अलग रूप में प्रचलित हैं। कहीं लड़की वाला लड़के वालों को दहेज में हजारों रुपया देता है और कहीं लड़के वालों को लड़की के मूल्य स्वरूप सैकड़ों या हजारों रुपया देना पड़ता है। कहीं पर चार-चार गोत्र बचाकर विवाह संबंध निश्चित किये जाते हैं और कहीं उच्च कहलाने वाले ब्राह्मण भी अपनी छोटी-सी उपजाति में गुंजायश न होने के कारण मामा, फूफा की लड़कियों से विवाह कर लेते हैं। मालाबार की तरफ के ब्राह्मणों में विवाह का बहुत-सा कृत्य वर के बजाय उसका मामा ही करता है। अनेक जातियों में विवाह के पहले लड़की का विधवा विवाह जैसा वेश बनाकर खूब शोक मना लिया जाता है तो कहीं विवाह के पश्चात् ससुर बहू को गोदी में उठाकर ले जाता है। इस प्रकार समस्त हिन्दू समाज में ऐसी अलग-अलग तरह की प्रथाएँ और

परंपराएँ प्रचलित हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं और अपनी-अपनी जातियों और उपजातियों में मानवीय तथा धर्मानुकूल मानी जाती हैं। इस कारण अगर कोई यह ख्याल करे कि इस समय उनके यहाँ जो प्रथायें प्रचलित हैं वे ही ईश्वरीय आदेश या 'वेद वाक्य' हैं तो यह उसके अज्ञान का ही परिचायक होगा।

### सबसे बड़ी बुराई—

इस समय विवाहों में जो सबसे बड़ी खराबी पैदा हो गई है वह उसे अत्यंत खर्चीला बना देना है। विवाह एक हर्षोत्सव अवश्य है और उस अवसर पर दो आत्माओं और दो परिवारों में एक गहरा संबंध स्थापित होता है, जिससे आगे चलकर अनेक शुभ परिणाम उत्पन्न होनें की संभावना रहती है। उस समय मनुष्य का एकाकीपन मिटकर उसे एक जीवन-साथी भी मिलता है, जिससे सुख-दुःख, संपत्ति-विपत्ति में सहारा मिलने का पूरा भरोसा रहता है। इसलिये ऐसे अवसर पर दस-पाँच इष्ट-मित्रों<sup>1</sup> को बुलाकर आमोद-प्रमोद मनाया जाय तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। इसी प्रकार यदि वर-कन्या के अभिभावकों की तरफ से उन लोगों को कुछ उपहार दिये जाएँ तो भी उसे बुरा नहीं कहा जा सकता। शास्त्र-विधि के अनुसार पाणिग्रहण करने के साथ-साथ थोड़ा-बहुत खुशी और मनोरंजन का कार्यक्रम बना लिया जाय तो उसे जीवन की एक विशेष घटना के रूप में याद रखने का अवसर मिलता है। पर जब ये बातें एक सनक या पागलपन का-सा रूप ग्रहण कर लेती हैं तो वे हमारी आर्थिक स्थिति के लिए खतरनाक बन जाती हैं। यही कारण है कि आजकल लोग विवाहों से बड़े परेशान हैं और विशेषतः लड़कियों के विवाहों से तो भगवान् के क्षेप की तरह डरते रहते हैं। इस समय कुछ बड़े लोगों ने नई-नई तरह के खर्च बढ़ाकर विवाह प्रथा को ऐसा खर्चीला बना दिया है कि साधारण स्थिति के व्यक्ति का उसकी थोड़ी बहुत नकल करने में ही दिवाला निकल जाता है और उसका दुष्परिणाम उसे वर्षों तक सहना पड़ता है।

विवाह-शादियों के समय होने वाला अपव्यय हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरीति है। बेटे वाला चाहता है कि लड़की वाले का घर-घूरा विकावा कर जो कुछ उसके पास हो वह तथा कर्ज लेकर

[ ६ ] : विवाह यज्ञ है इसे उद्घात जैसा न कराए !

जितना भी इकट्ठा कर सके, दहेज के नाम पर वसूल करले। बेटी वाला भी कम नहीं, वह चाहता है कि लड़के की पढ़ाई में जिसने अपना घर खाली कर लिया है वह सेठ-साहूकारों की तरह सोने, चौंदी, हीरे, भोती के बहुमूल्य जेबर और रेशम मखमल के रईसों, अमीरों जैसे कपड़े लड़की के लिए चढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति को नष्ट कर दे।

दोनों ही पक्ष अपनी शतरंज की चाल चलते रहते हैं। बेटे वाला चाहता है कि अधिक से अधिक दहेज मिले, ऐसा संबंध पक्का किया जाय और लड़की वाला उस घर को तलाश करता है जो अधिक जेबर चढ़ा सके। इस प्रतिस्पर्धा में दोनों पर भारी आर्थिक दबाव पड़ता है और एक-दो व्याह, शादियों में ही आर्थिक दृष्टि से खोखले हो जाते हैं।

विवाह के उत्सव का व्यय-भार भी तो कम नहीं होता। बरात सजाने और ले जाने में बेटे वाले को और स्वागत-सत्कार में बेटी वाले को कमर तोड़ आर्थिक दबाव सहना पड़ता है। बराती काम छोड़ते, सजघज के कपड़े-लत्ते बनवाने में पैसे खर्च करते हैं और जो बरात में ले गया है उस पर अहसान जताते हैं। बेटे वाला भी अपनी शोभा बनी देखकर बराती का उपकार मानता है और उसे ले जाने में सवारी एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करता है। बेटी वाला अपनी सामर्थ्य भर प्रयत्न करते हुए भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता तो उसका चित्त भी दुखी ही रहता है। बरात को ठहराने, खिलाने एवं स्वागत सुविधा के साधन जुटाने में उसे कितनी चिंता और भाग-दौड़ करनी पड़ती है उसे भुक्तभोगी ही जानता है।

बहुमूल्य मिष्ठान, पक्वानों की लम्बी-चौड़ी दावतें इस मैंहगाई के जमाने में कम पैसा नहीं काटती। गाजे-बाजे, आतिशबाजी, उपहार, अलन-चलन, नेग-जोग का ढोंग जितना निरर्थक होता है उतना ही खर्चीला भी। दोनों पक्ष से ऐसे उपहार भेजे जाते हैं जिनमें पैसा तो अंधाधुंध खर्च होता है परं वे जगह धेरने और बेकार पड़े रहने के अतिरिक्त और किसी काम नहीं आते। विवाह से पहले और बाद में बेकार के इतने रस्म-रिवाज पूरे करने पड़ते हैं जिनमें विवाह के बाराबर नहीं तो कुछ ही कम-बढ़ खर्च पड़ जाता है। बारात, दावत,

उपहार, अलन-चलन, दक्षेज, जेबर, गाजे-बाजे आदि का खर्च इतना बढ़ जाता है कि उन्हें पूरा करने में दोनों पक्ष ही दिवालिया हो जाते हैं।

प्रचलित रुद्धियों के कारण हिंदू के लिए 'विवाह' एक इतना बड़ा भार है कि उसे जीवन का अधिकांश भाग इसी चिंता में घुलते हुए बिताना पड़ता है। सभी घरों में बच्चे होते हैं और सभी को विवाह करने पड़ते हैं, कोई गृहस्थ ऐसा नहीं जिसके कन्या, पुत्र न होते हैं। लड़के के विवाह में तो ऐसा भी हो सकता है जेवर एक वधु का उतार कर दूसरी पर और दूसरी का तीसरी पर चढ़ा दिया जाय तो वक्त की शोभा हो जाती है और उसमें होने वाले खर्च की बचत हो जाती है। पर कन्या वाले को यह लाभ भी नहीं मिलता। लड़के वाला दहेज पाकर उस समय थोड़ा नफे में रहे तो भी उसे उस प्रथा से कुछ विशेष लाभ नहीं होता क्योंकि उसने घर में भी तो कन्या होती है, उसके विवाह में उसे भी अपना घर खोखला करना पड़ता है।

उँगलियों पर गिनने लायक चन्द अमीरों की बात छोड़िये। अधिकांश लोग निम्न या मध्यम श्रेणी के होते हैं। उनके लिए इस मँहगाई और बेकारी के जमाने में अपनी गुजर करना ही कठिन पड़ता है। भोजन, वस्त्र, दवा, फीस, मकान, किराया, अतिथि, सत्कार, तीज-त्यौहार जैसी दैनिक आवश्यकताओं को लोग मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। ऐसी दशा में जब कन्या, पुत्र विवाह के योग्य हो जाते हैं और उस कार्य के लिए बहुत धन जुटाने की आवश्यकता पड़ती है तब अभिभावकों की चिंता और परेशानी का कोई ठिकाना नहीं रहता।

कर्ज लेकर, जीवनोपयोगी वस्तुओं को बेचकर, बेईमानी, ठगी आदि जो भी उपाय सम्भव हो उसे अपनाकर विवाहों का खर्च अनिवार्यतः जुटाना पड़ता है। हिंदू सारी जिंदगी अपने बच्चों के विवाह-शादी की चिंता में घुलता रहता है। उसका आधे से अधिक जीवन समस्याओं को सुलझाने में लग जाता है, आमदनी का प्रायः आधा खर्च उसी मद में चला जाता है। मजबूरी हर काम कराती है। ईमानदारी से पैसा नहीं मिलता तो बेईमानी करनी पड़ती है। हमारे

८ विवाह यज्ञ है इसे जदूत उत्पात जैसा न बनाएं !

समाज में फैली हुई बेईमानी और स्वार्थपरता का एक कारण यह भी है कि हर हिंदू को अपने बच्चों के विवाह में खर्च करने के लिए बहुत पैसा चाहिये। ईमानदारी से तो गुजारे के लायक सीमित आमदनी ही हो सकती है। अतिरिक्त धन जमा करना है तो चोरी, बेईमानी, ठगी, अनीति एवं शरीर और मन को घुला डालने वाली किफायतशारी के अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं रह जाता। इस कुचक्र में पड़े हुए हम अपना शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य-संतुलन बुरी तरह खोते चले जा रहे हैं। विवाह की चिंता हर अभिभावक को चिंता की तरह जलाती रहती है।

**नैतिक पतन का कारण—**

दहेज तथा विवाहों में होने वाले अपव्यय को जुटाने के लिए जो तरीके अपनाने पड़ते हैं वे प्रायः अनुचित ही होते हैं। कर्ज लेना और फिर उसे न चुका सकना, मकान, जमीन, जेवर, बर्तन आदि बेच देना, बेईमानी करके पैसे कमाना यही तो अतिरिक्त आमदनी के स्रोत हो सकते हैं। इनके कारण मनुष्य अपना लोक, परलोक, धर्म, ईमान, यश, सम्मान, सभी कुछ खो बैठता है और अपराधी जैसी दुर्गति भोगते हुए निकृष्ट जीवन अपनाने के लिए विवश होता है। जो लोग इस प्रकार भी इस समस्या को नहीं सुलझा पाते उन्हें अयोग्य घरों के हाथों अपनी सुयोग्य कन्याएँ सौंपनी पड़ती हैं जिससे उन बच्चियों का सारा जीवन दुःखमय बीतता है। कम दहेज दे सकने पर कितने ही लड़के वाले बहुओं को सताते हैं ताकि उनके पिता से और अधिक पैसा मिले। कितनी ही घटनाएँ ऐसी भी होती हैं कि एक बहू को अत्याचारों द्वारा या विष देकर मार डाला जाता है और लड़के का दूसरा विवाह करके फिर दहेज कमाया जाता है। अभिभावकों की चिंताग्रस्त देखकर कई भावुक लड़कियाँ आत्म-हत्या कर बैठती हैं, घर छोड़कर माग खड़ी होती हैं या आजीवन कुमारी रह जाती हैं। असफल अभिभावकों का भी कई बार ऐसा दुःखद अंत देखा जाता है कि उसका स्वरण मात्र करने से आँसू भर आते हैं। लाखों-करोड़ों अभिभावकों और बच्चे-बच्चियों को, इन कुरीतियों के कारण घुल-घुलकर जो अप्रत्यक्ष आत्म-हत्याएँ करनी पड़ती हैं उनका करुण चित्र कोई चित्रकार यदि खींच सके तो पता चले कि हिंदू

समाज को भीतर ही भीतर कितनी घुटन और पीड़ा घुन की तरह खाये जा रही है।

कन्या और पुत्र में अंतर इस विवाह में होने वाले अपव्यय ने ही प्रस्तुत किया है अन्यथा बच्चे और बच्ची में से किसी को दुर्भाग्य माने जाने का कोई कारण नहीं। लड़की की शिक्षा-दीक्षा, पालन-पोषण एवं मान-सम्मान में इसलिए अंतर किया जाता है क्योंकि वह विवाह की खर्चीली प्रथा के कारण घर के लिए भार या कष्टकर सिद्ध होती है। किसी जमाने में तो पैदा होते ही लड़कियों को गला धोटकर या विष देकर मार डाला जाता था। इस व्यापक कुप्रथा के विरुद्ध अँग्रेजी सरकार ने एक 'दुखार कुसी' कानून ही बनाया था। अब वैसा तो कम ही होता है पर लड़कियाँ जिस उपेक्षा से पलती और शिक्षा-दीक्षा से वंचित रहती हैं उसे देखते हुए उनकी आधी हत्या तो अभी भी हो जाती है। सुयोग्य कन्याओं को सुयोग्य पति प्राप्त करने से इसलिए वंचित रह जाना पड़ता है कि उनके अभिभावक सुयोग्य लड़कों द्वारा की गई दहेज माँग पूरी नहीं कर सकते। इसके विपरीत अयोग्य कन्यायें सुयोग्य लड़कों के गले केवल पैसे के बल पर आसानी से मढ़ दी जाती हैं।

### यह प्रथा पतन—

विवाहों में अपव्यय करने से एक नहीं अनेक प्रकार की बुराइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि कुछ वर्षों से देश में जैसी मँहगाई बढ़ रही है उससे जीवन निर्वाह का अपव्यय पहले से बहुत अधिक बढ़ गया है और हर तरह से आमदनी बढ़ाने पर भी साधारण लोगों की गुजर कठिनाई से होती है। ऐसी हालत में वे लड़कियों के विवाह के लिये हजारों रुपये की रकम कहाँ से लावें ? इसके लिये लोगों को बैईमानी, रिश्वत, ग्रष्टाचार आदि ऐसे उपायों का भी सहारा लेना पड़ता है जिनको वे नैतिकता के विरुद्ध समझते हैं और जिनको करने के लिये उनका आत्म-सम्मान गवाही नहीं देता। यही कारण है कि इस समय देश में नैतिकता का घोर पतन हो रहा है और सरकार तथा समाज हितैषियों के लाख प्रयत्न करने पर भी इन दुर्गुणों में कमी नहीं हो रही है।

दूसरी बुराई है कन्याओं की और स्त्रियों की बेकदरी। लड़की के विवाह में जब कोई व्यक्ति अधिक खर्च नहीं करता तो द्वार-द्वार पर घूमकर वर की तलाश करनी पड़ती है और लड़के वालों द्वारा असम्मान का व्यवहार सहन करना पड़ता है। वह जहाँ तक संभव हो अपनी लड़की के लिये सुयोग्य वर ढूँढ़ना चाहता है पर जब लेन-देन की बात चलती है और वह लड़के वालों का माँगा हुआ मूल्य देने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है, कम लेने के लिये उनकी खुशामद करता है तो उसे दुरदुराकर निकाल देते हैं। इस अपमान से उसे मर्मांतक चोट लगती है और कुछ समय बाद निराश होकर वह कन्या को ही सब अनर्थों की मूल समझने लगता है। निर्दोष कन्या भी अपने पिता की यह दुर्दशा देखकर महादुखी होती है और अनेक बार आत्म-हत्या करके इस समस्या का अंत कर देती है। जिन कन्याओं का किसी तरह बुरे-भले घरों में विवाह हो जाता है वे भी वहाँ तरह-तरह के उत्पीड़न सहन करती हैं। ससुराल वालों के ताने सुनना, सास-ननद की गालियाँ खाना, भोजन-वस्त्र की कमी रहना, घर के नीच कर्म कराए जाना तो साधारण बातें हैं। अधिक नृशंस अथवा अर्थ-पिशाच लोग तो उनके साथ मारने पीटने, भूखों रखने, अन्य प्रकार के अत्याचार करने में भी संकोच नहीं करते। इसके फलस्वरूप उनका जीवन नारकीय कष्टों से पूर्ण हो जाता है और विवश होकर वे किसी तरह से अपने प्राण दे देती हैं। इन वैवाहिक कुप्रथाओं के कारण हिंदू समाज में नारी का दर्जा बहुत घट गया है और उसका स्वाभिमान सर्वथा नष्ट हो गया है।

नारी जाति की इस उपेक्षा और उनके साथ हीनता का व्यवहार करने का दुष्परिणाम समस्त जाति को भोगना पड़ता है। इस प्रकार के व्यवहार निरंतर तथा सर्वत्र देखते रहने से स्त्री भी अपने को हीन निकृष्ट समझने लगती है और उसके विचार, आहार-व्यवहार, मनोवृत्ति भी वैसी ही बन जाती है। उसकी त्रुटियों, दुर्गुणों का प्रभाव उसकी संतान पर भी पड़ता है और वह अपने घटिया स्तर के अनुरूप ही उनका पालन-पोषण और निर्माण कर सकती है। इससे उनके लड़के भी आगे चलकर घटिया नागरिक ही बनते हैं, उनमें अनेक प्रकार अनेक दोषों का स्थायी रूप से समावेश हो जाता है, और वे अपनी तथा राष्ट्र की प्रगति के लिए अनुपयुक्त सिद्ध होते हैं।

इन सब बुराइयों की शृंखला का मूल बहुत कुछ विवाह संबंधी कुप्रथा ही है। अगर हमें उसे इतना खर्चीला और आडंबरपूर्ण न बना देते कि जिसके कारण वह एक साधारण गृहस्थ के लिए भयंकर अभिशाप सिद्ध होकर उसकी आर्थिक व्यवस्था को ही चौपट कर डालती, तो लड़कियों के प्रति मनुष्यों का दृष्टिकोण इतना ओछा न हो जाता।

विवाहों में अपनी हैसियत से अधिक खर्च करके दिवालिया या कर्जदार बन जाने वाले को न कोई अमीर समझता है, न उसकी कोई इज्जत करता है, पर सब उसे शेखीखोरा और बेवकूफ ही बतलाते हैं। यों किसी के मुँह पर कोई ऐसी बातें नहीं कहता, पर मन में सब उसकी वास्तविक स्थिति को जानते हैं और समय आने पर वैसा ही व्यवहार करते हैं।

बहुत से लोग इस प्रकार का अतिरिक्त खर्च इसलिए करते हैं कि समाज में वैसी ही परंपरा प्रचलित है और घर के बड़े-बूढ़े तथा जाति के मुखिया उसी का पालन करने की सलाह देते हैं। वे समझते हैं कि यदि दूसरों की तरह दिल खोलकर खर्च न किया जाएगा और शान-शौक्त न दिखाई जाएगी तो लोग तुमको छोटा या कंजूस समझने लगेंगे। पर ये भी सब दिखावटी चीजें हैं, जिनको उथली बुद्धि के लोग ही महत्व देते हैं। हमको उचित है कि बड़े-बूढ़ों तथा मुखियाओं का उनकी आयु और पदवी के अनुसार आदर करते रहें, पर इस प्रकार के मामलों में जिनका असर समस्त परिवार के भविष्य पर पड़ता है, उनकी बातों को आँखें बन्द करके न मान लें। हमको अधिक ध्यान धार्मिक संस्कार की पूर्णता और सज्जनोचित मान-मर्यादा का ही रखना चाहिए, केवल अधिक रूपया खर्च करने से महत्व मानना व्यर्थ है। जनता तो भेड़चाल की ही अनुयायी होती है। जिस मार्ग पर ज्यादा आदमी चलने लगे उसी को प्रशंसनीय और बड़प्पन का चिन्ह बतलाने लगती है। आज विवाहों में तरह-तरह के फिजूलखर्ची के काम किए जाते हैं तो लोग उनकी तारीफ करते हैं। और यदि बहुत कम खर्च के आदर्श विवाहों का प्रचलन हो जायेगा तो उन्हीं को प्रशंसनीय बतलाया जाने लगेगा।

विवाहों में ज्यादा ठाठ-बाट और शान दिखलाने की चेष्टा सब दृष्टियों से हानिकारक और समाज के लिए भी घातक है। यह एक ऐसा विष वृक्ष है जिससे सैकड़ों अन्य बुराइयों के फल उत्पन्न होने हैं। इससे व्यक्तियों को हर दर्जे की परेशानी उठानी पड़ती है, तरह-तरह की अनैतिकता के कार्य करने को विवश होना पड़ता है, नारी जाति का अधिपतन होता है और उसके फलस्वरूप समाज की भावी पीढ़ी हीन और निर्बल चरित्र की बनती है।

संसार के किसी भी देश और समाज पर दृष्टिपात कीजिए। कहीं भी विवाह के नाम पर होने वाला अपव्यय न दिखाई पड़ेगा। विवाह अवसर पर सर्वत्र प्रसन्नता और उल्लास व्यक्त किए जाते हैं। अपने ही देश में ईसाई, मुसलमान, बौद्ध आदि अन्य समुदाय के लोग रहते और विवाह-शादी करते हैं पर उनमें इसे कमर तोड़ आर्थिक दबाव का रूप नहीं दिया जाता। हम अपने को सभ्य कहें या असभ्य ? विवेकशील कंहें या अविवेकी ? यह समझ में नहीं आता। इतनी भयंकर कुरीतियों को समाज छाती से चिपकाए बैठा है, इतना त्रास सहकर जिसे सुधार एवं परित्याग का साहस न होता तो उस समाज को मृतक नहीं तो अर्ध मृत कहना ही चाहिए। जैसे निष्प्राण लोग सभ्य संसार की प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे और अपना पिछड़ापन दूर कर सकेंगे इसकी आशा नहीं बँधती।

संसार के सभी धर्म और समाज प्रगति कर रहे हैं। ईसाई धर्म को जन्मे पूरे दो हजार वर्ष भी नहीं हुए कि उसने विश्व की आधी जनसंख्या को दीक्षित कर लिया। इस्लाम को १३०० वर्ष हुए हैं कि वे धर्मों की दृष्टि से दूसरे नंबर की जनसंख्या को अपने में समेटे हुए हैं कि उनका धर्म भी संसार के तीसरे नंबर पर है। यह अभागी हिन्दू जाति ही है जो सुष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक का इतना भव्य इतिहास और दर्शन होते हुए भी दिन-न्दिन स्तर की दृष्टि से भी घट रही है और संख्या की दृष्टि से भी। संसार के अन्य देशों की बात कौन कहे हिन्दू अपने देश में भी उस गति से बढ़ रहे जिस गति से ईसाई, मुसलमान बढ़ रहे हैं। इसके कई कारणों में से प्रमुख कारण यह है कि हमारा साम्प्रांजिक गठन आज ऐसा दूषित हो चला है कि इसके भीतर रहने से लोगों की आत्मा विद्रोह करने लगी

है। विवाहों में होने वाले, विवाह की कुप्रथा एक के तोड़े टूटती तो है नहीं, मजबूरी से उसी ढर्हे पर चलना पड़ता है। किंतु प्रतिफल में जो दुखद दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं उससे विक्षोभ तो उत्पन्न होता ही है। जिस जाति में आत्म-विक्षोभ भरा होगा, वह कभी फल-फूल नहीं सकेगी वरन् विनाश की ओर ही चलेगी। आज हो भी यह रहा है। अपने धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वालों की संख्या अब दिन-दिन घट रही है। आज हकीकतराय, बंदा वैरागी, शिवाजी और गुरु गोविंदसिंह मुश्किल से ही निकलेंगे। लोग स्वेच्छा से अपनी चाटी कटाते चले जा रहे हैं, जनेऊ पहनना बेवकूफी समझते हैं, धर्म परपराओं का उपहास उड़ाते हैं। ऐसे समाज के बढ़ने और फलने-फूलने की क्या आशा की जा सकती है ? इस अश्रद्धा के उत्पन्न होने में हमारी सामाजिक बुराइयों का भी एक बड़ा कारण है, जिसने अपने अनुयायियों को केवल त्रास ही दिया है।

इन कुरीतियों का शोधन करना हमारे जातीय जीवन की जीवनमरण समस्या है। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा और यदि अपनी महान् संस्कृति को उपहासास्पद एवं धृष्णित होने से बचाना है, उसे मरणोन्मुख नहीं होने देना है तो हमें इसके लिए कुछ करना ही चाहिए। वैवाहिक अपव्यय जैसी सत्यानाशी कुरीतियों का काला मुँह करने के लिए तो एक क्षण भी प्रतीक्षा किए तत्काल कंटिबद्ध होना चाहिए। विवाह-यज्ञ को उद्घात उत्पात जैसा बना दिए जाने की जघन्य स्थिति से उबरना आवश्यक है।



## दहेज का दानव किसी के लिए शुभ नहीं

विवाह को एक परम पवित्र धर्म संस्कार माना गया है। उसे सात्त्विकता एवं धार्मिकता के सोम्य वातावरण में, सादगी और मितव्ययतापूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए। पर इस विडंबना को क्य कहा जाए कि लोगों ने इस धर्मकृत्य को भी व्यवसाय बना लिया। कहीं लड़कियाँ बेचकर धन कमाया जाता है तो कहीं लड़के बेचकर

पृष्ठ : विवाह यज्ञ है इसे उद्घात उत्पात जैसा न कराएं !

दहेज लेने की प्रथा चल पड़ी है। इस प्रवृत्ति को लोभवृत्ति ही कहा जाएगा। लड़के के लिए संबंध तभी स्वीकार किया जाता है जब वधु के साथ-साथ एक बड़ी धनराशि भी मिले। नीलाम की बोली की तरह वह माँग बढ़ती जाती है और जो अधिक खर्च कर सकता है वह संबंध करने में सफल होता है।

लालच के साथ निष्टुरता जुड़ी रहती है। लालची आदमी यह नहीं सोचता कि मेरी तृष्णा की पूर्ति में दूसरों को कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। सयानी कन्या का पिता विवशता में अपनी सारी आर्थिक स्थिति को समाप्त करके विवाह के साधन जुटाता है। फिर भी देखा गया है कि लड़के वाले उतने से भी संतुष्ट नहीं होते। अधिक पाने के लिए वे तरह-तरह के दबाव डालते हैं, अपमानित करते हैं और जो भी हथकंडा अपनाया जा सकता हो, अपनाते हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। इसी उत्पीड़न में लड़की वालों की जान निकलने लगती है।

विश्व की किसी भी संस्कृति, किसी भी देश ने विवाह को एक महान् आध्यात्मिक संस्कार की इतनी महत्ता प्रदान नहीं की जितनी इस देश ने। यहाँ विवाह को दो आत्माओं का पुनीत गठबंधन माना जाता है। यह दो व्यक्तियों का ही नहीं दो परिवारों के संगम का पुनीत बंध है। जन्म से ही परिचित दो कुटुंबों के बीच जब इतनी घनिष्ठ आत्मीयता जमती देखते हैं तो भारतीय विवाहों की गरिमा अपने प्रखर रूप में चरितार्थ हो उठती है। किंतु जहाँ अपने सभी तरह के आध्यात्मिक, धार्मिक आदर्शों का रूप विकृत होता चला जा रहा है। दहेज और वधु शुल्क के कट्टर प्रचलन के साथ अब विवाह सामाजिक जीवन में आत्मीयता और अंतरंग एकता स्थापित करने का, दो परिवारों को, दो मान्यताओं को एक स्नेह सूत्र में जोड़ने का माध्यम न रहकर विग्रह, विद्वेष और अनैतिक आचरणों की प्रेरणा का साधन बन गया है। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में इन दिनों जिस अनैतिकता के दर्शन होते हैं उसमें वित्तेषणा उतनी प्रमुख नहीं जितनी अभिभावकों की बेटियों के लिए दहेज जुटाने की समस्या। जिसके बिना आज किसी भी लड़की का विवाहित जीवन सुखी और सम्मानित रहना तो दूर उन्हें पग-पग पर अपमान, अवहेलना तथा आत्मघात का शिकार होना पड़ता है।

दहेज के इस रक्त-पिपासु दानव से हर गृहस्थ, हर व्यक्ति परिचित है। वह रहता और चलता भी इसी समाज में है, पोषण और संरक्षण भी उसे वही मिल रहा है जो उसके भार से कराह रहे हैं, दबे जा रहे हैं फिर भी यह कैसी विडंबना है कि इसके बावजूद भी यह क्रम यथावत चल रहा है। बेटी के विवाह का समय आता है तो यह दहेज क्रूर दस्यु के रूप में आ धमकता है, पर जैसे ही बेटे का नंबर आया कि वही पीड़ित व्यक्ति उसे गले लगाने दौड़ते हैं। दहेज लोगों की इसी फूट का लाभ लेकर लोगों का रक्त चूस रहा है और अद्भुत कर रहा है और यह भारतीय समाज है कि कानों में ऊँगली डाले बैठा है उसमें इस पाशविक प्रतिबंध को तोड़ डालने का साहस नहीं होता।

### उपहार से विकृति तक—

‘ब्राइडवेल्थ’ एण्ड डावरी के लेखक एस. एस. अल्टेयर ने व्यापक सर्वेक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि ९६वीं शताब्दी के मध्य तक यह एक स्वैच्छिक उपहार और पवित्र स्नेह के प्रतीक के रूप में माना जाता था। परिवार में कन्या ही एक मात्र ऐसी हुआ करती है जिस पर बड़े-बूढ़े, माता-पिता तथा बड़े भाइयों का सर्वाधिक स्नेह हुआ करता है। इतने दिनों तक औंगन में खेलने-कूदने वाली लाड़ली बेटी की विदाई पर उसे कुछ उपहार देकर विदा करना उसी स्नेह का प्रतीक और बालिका के किसी भी संकट के समय की सहायता के पाथेर रूप में पढ़ी उक्त परंपरा ने अभी कुल ५०-६० वर्षों से इतना वीभत्स रूप धारण कर लिया है कि हर बेटे वाला उसे न केवल अधिकार मान बैठा है अपितु अब तो जानवरों की तरह विवाह योग्य लड़कों की विधिवत् नीलामी होने लगी है। जो जितना अधिक दे उसी की कन्या से शादी। इस भोड़ी परंपरा से निर्धन घरों को उजाड़ कर रख दिया। हजारों-लाखों कन्याएँ अपनी भावनाओं का गला घोटकर बूढ़ों और विद्युरों के पल्ले इसलिए बाँध दी जाती हैं क्योंकि उनके अभिभावक समुचित दहेज जुटाने में असमर्थ रहते हैं। उच्च शिक्षित कन्याओं के लिए तो यह एक प्रकार से फाँसी का फंदा ही है। कम पढ़ी-लिखी का तो सामान्य परिवार में कम दहेज में भी विवाह हो सकता है किंतु शिक्षित परिवारों का टेढ़ा मुँह हजारों में

सीधा नहीं होता। पैसे की इस अनियंत्रित लालसा ने जब से पैर फैलाया संस्कारों की महत्ता समाप्त हो गई। अब विवाह दो आत्माओं को, दो परिवारों को जोड़ने वाला नहीं तोड़ने और काट डालने वाला फरसा बन गया है। उसकी प्रतिच्छाया—पारिवारिक कलह, अशांति, उद्धिग्नता और अपराधों के रूप में घर-घर देखी जा सकती है। जब तक इस नासूर से नहीं निपटा जाता सामाजिक सुख-शांति और व्यवस्था की कल्पना ही निरर्थक है।

कुछ रूपये देकर छुट्टी हो गई होती तो भी एक बात थी, पर यह तो अजगर की तरह भयानक भी है लम्बा-तड़गा भी। नकद, कैश सर्टीफिकेट के अलावा आभूषण, फर्नीचर, अलमारियाँ, कीमती वस्त्र और साईकिल, घड़ी, पंखे, फ्रिज से लेकर स्कूटर व टेलीविजन तक के उपहार भी उसी के भाग हैं। इसके अतिरिक्त भी विवाह के बाद न्यूनतम एक वर्ष तक अनिवार्य रूप से प्रत्येक पर्व, त्यौहार पर लड़के वाले के यहाँ मिष्ठान, पकवान तथा अन्य उपहार भेजना उसका तीसरा चरण है। इस तरह जब तक यह दहेज एक परिवार का रक्त चूसकर दूसरे पेट में नहीं पहुँचा देता तब तक चैन नहीं लेता। कल्पना की जा सकती है कि इस अंधी परंपरा के कारण निर्धन और मध्यम वर्ग परिवारों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा।

कहने को तो यह युग सभ्यता और प्रगतिशीलता का कहा जाता है। शिक्षा की अभिवृद्धि के साथ लोगों के चिंतन में भी वैज्ञानिकता का विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं, किंतु इस दृष्टि से वह जितना आगे बढ़ा नहीं उससे पीछे फिसला है। देश का ऐसा कोई प्रांत नहीं जहाँ यह प्रथा किसी न किसी रूप में विद्यमान न हो। इसके कारण लोगों को साहूकारों और पैसे वालों से ऋण लेना अनिवार्य हो जाता है और फिर उनका भयंकर शोषण चलता है जिससे वे पीढ़ियों तक पनप नहीं पाते, पोषण से वंचित, संस्कारों से वंचित, शिक्षा-दीक्षा से वंचित संतानें उजड़ड, गँवार और अयोग्य होती चली जाती हैं। दहेज को इसी दृष्टि से सामाजिक कोड़ की संज्ञा दी गई है जिस अंग पर लगा हो उसे समूल नष्ट करके ही छोड़ता है।

दहेज के इस कलंक से ही विवाह संस्कार इतना खर्चीला, उलझा हुआ और कष्टसाध्य बन गया है कि उसे एक दुस्तर विपत्ति माना जाता है। जिस पिता ने जितने बच्चों के विवाह कर लिए वह उसमें संग्राम जीत लेने जैसा गर्व और संतोष अनुभव करता है। बच्चों का जन्म होते ही विवाह की चिंता बढ़ती है। पुत्र और कन्या दोनों ही के विवाह में हगे हैं, किसी समाज में लड़के वालों पर यह भार पड़ता है तो किसी में लड़की वालों पर। सर्वण कही जाने वाली जातियों में लड़की वालों को बहुत खर्च करके लड़के वालों को खुश करना पड़ता है। असर्वण एवं पिछड़ी जातियों में लड़के वाला अपनी आर्थिक क्षमता निचोड़ कर किसी प्रकार लड़की वालों को संतुष्ट कर पाता है। जिसके प्रसन्न करने के लिए यह असह्य व्यय भार उठाया गया था वह भी उसे बचा नहीं पाता, कुछ लाभ नहीं ले पाता। “लूट के माल में अनेक साथी”—कहावत की तरह अनेक मुफ्तखोर उस लूट में साझी बन जाते हैं और वे भी उससे कुछ लाभ नहीं ले पाते जिसके लिए दूसरे परिवार ने अपनी आर्थिक स्थिति को खेलि चढ़ा दी।

नक्की के रूप में जो दहेज मिलता है वह विवाह में लगने वाले कुल खर्च का एक चौथाई ही होता है। बाकी तीन चौथाई तो दावत, सजघज, गाजेबाजे, मेहमानी, खातिरदारी, आतिशबाजी, धूमधाम, फर्नीचर, उपहार, जेबर, कपड़े के रूप में ही खर्च जाता है। जो थोड़ी वस्तुएँ मिली थीं उससे बहुत ज्यादा नकदी उस पक्ष को भी करनी पड़ती है जिसे प्रसन्न करने के लिए यह भारी खर्च किया गया था। इस प्रकार दीखने में लाभ कमाने वाला प्रश्न भी वस्तुतः घटिया ही रहता है। उसे जो मिला था उससे बहुत ज्यादा खर्च दूसरे पक्ष की शोभा तथा संतुष्टि के लिए खर्च करने में गँवा देना पड़ा।

सर्वण लोगों में—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ आदि जातियों में लड़की वाला पिसता है, उसे अपनी आर्थिक बरबादी लड़के वालों की मनुहार के लिए करनी पड़ती है। असर्वण लोगों में—जिनमें अचूत आदिवासी, वनवासी, पहाड़ी पिछड़ी हुई जातियों के लीग हैं, उनमें लड़के वाले को अपनी आर्थिक बरबादी लड़की वाले को खुश करने के लिए उसकी माँग के अनुरूप करनी पड़ती है। फिर भी हिसाब पूछने पर यहीं पता चला है कि जिसे लाभ कमाने वाला समझा जाता

है वस्तुतः वह भी घाटे में रहता है। एक पक्ष के जिम्मे एक तरह के खर्च पड़ते हैं तो दूसरे पक्ष के जिम्मे दूसरी तरह के।

बाहर नाच-रंग और दहेज देवता के सरंजाम जुटते हैं, सरंजाम को जुटाने में पारिवारिक बर्बादी की नींव पड़ी, वह भी अंदाज नहीं हो पाती अस्तु भीतर ही भीतर मर्मांतक हाहाकार चलता रहता है। इस स्थिति की तुलना पशुबलि के लिए किये जाने वाले मूढ़ उत्सव से ही की जा सकती है। एक ओर जिसमें असहाय पशु अपने प्राण जाते और मर्मांतक पीड़ा की आशंका से भयभीत त्राहि-त्राहि करते और आँसू बहाते हुए धिस्टटे चलते हैं, दूसरी ओर गर्दन कटने, खून की नाली बहने, चीत्कार की ध्वनि और तड़पड़ाने के दृश्य देखने के लिए इकट्ठी हुई भीड़ का नाच-कूद, वाद्य-गायन ये दोनों विडंबनाएँ साथ-साथ चलती रहती हैं। करुणा और नृशंसता की—कातरता और हर्षोन्माद की—एक दूसरे से सर्वथा विपरीत प्रवृत्तियाँ पशुबलि के उत्सव के समय देखी जा सकती हैं, उसका दूसरा उदाहरण देखना हो तो कोई आये दिन होने वाले हिंदू समाज के उन विवाहोत्सवों में सम्मिलित होकर देख लें। बर्बादी की नींव रखी जाते देखकर शोषित पक्ष, अपनी बात और नाक कट चलने की दुहाई देने वाला शोषक पक्ष एक-दूसरे से कितनी विपरीत स्थिति में होते हैं, फिर भी बाहर से माथे पर गुलाल मलते हुए समधी भेंट के दृश्य देखे जा सकते हैं। शोषित नजर भेंट की नकदी देकर रस्म अदा करता है और उसकी आत्मा कहती है कि इस नृशंस समधी का पेट छुरी से फाड़ भाला जाए तो अच्छा है। स्कूटर और मोटर साईकिल के लिए, विलायत की सैर करने का खर्च देने के लिए मुँह फुलाए जामाता की खुशामद में कन्या के पिता हाथ जोड़कर खड़े तो होते हैं और उसे किसी प्रकार मोल-तोल करके अनुनय-विनय करके मनाते भी हैं, पर उनकी आत्मा कहती है कि ऐसे क्रूर जानवर को लड़की देने के लिए विवश न होना पड़ता तो तेल छिड़क कर आग लगा लेना ही उचित होता।

### आखिर लाभ क्या हुआ—

दहेज लेने वाले भी कोई विशेष लाभ में नहीं रहते। उपलब्ध हुई रकम उन्हें धूम-धड़के में, मिथ्या प्रदर्शनों में खर्च कर देनी

पड़ती है। अपने बड़प्पन की धाक जमाने के लिए ही तो उसने बड़े दहेज के लिए पैर पसारे थे। अब जबकि उतनी रकम मिल रही है। तो अपनी अमीरी साबित करने के लिए उन्हें ही तो ठाट-बाट दिखाना पड़ेगा। अमीरी का स्वाँग कितना मँहगा है उसे भुक्तभोगी ही जानते हैं। थोड़ा-थोड़ा नाटक रचने पर भी वह झूँठी अमीरी जरा-सी चमक-दमक तब दिखाती है, जब दहेज में पाया हुआ पैसा आतिशबाजी की तरह जलकर खाक हो जाता है। बेटा वाले के यहाँ कीमती कपड़े, कीमती जेवर तथा महँगे अलन-चलन न पहुँचाए जाएँ तो उनकी नाक कटती है। पहले कम दहेज मिलने में नाक कटने का सवाल था, अब कम खर्च करने में नाक और कान दोनों साफ होते हैं। चिढ़ा हुआ बेटी वाला भी प्रतिहिंसा की भावना से क्षुब्ध यही चाहता है कि मुझे सताकर जो वसूल किया गया है, ईश्वर करे इस दुष्ट के हाथ भी न रहने पावे। छोटे-छोटे नेगचारों को लेकर पूरी-पूरी खींचतान रहती है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की घात में रहते हैं। कहने भर को ही आपस में संबंधी होते हैं, वस्तुतः मन में एक-दूसरे को शत्रु मानते रहते हैं। बेटे वाला सोचता है कि समधी अमीर था पर उसने मुझे कम दिया। बेटी वाला सोचता है, समधी कितना निष्टुर है जो मेरे बाल-बच्चों के बर्तन छीन ले जाने की नीयत लगाए बैठा है। दुर्व्यवहार का यह घट जीवन में भर नहीं सकता और रिश्तेदार कहे जाने वाले समधी वस्तुतः भीतर ही भीतर शत्रुता के भावों से भरे रहते हैं।

### विवशताजन्य औचित्य—

समुचित दहेज न जुटा सकने पर लड़कियों की तथा उनके अभिभावकों की जो दुर्दशा होती है, उसका मयानक चित्र आँखों के सामने आते ही किसी भी सहदय व्यक्ति की अंतरात्मा काँप उठती है। उघार मिलना सरल नहीं रहा। बिना संपत्ति गिरवी रखे कोई देता नहीं, यदि सम्पत्ति होती तो कठिनाई की बात ही क्या थी ? धोखे, चालाकी से झूँठे वायदे करके ही मित्रों, रिश्तेदारों से लेना पड़ता है। किसी प्रकार मिल गया तो कम आमदनी के कारण चुकाने की गुंजायश नहीं रहती। वापिस दें तो कैसे ? पग-पग पर लज्जित होना पड़ता है, कटु वचन सुनने पड़ते हैं, न मिलने पर मित्र ही शत्रु बन

जाते हैं। यदि व्याज पर लिया गया है, तो मूलधन चुकाना तो दूर व्याज देते-देते ही पीछा नहीं छूटता, धीरे-धीरे वह व्याज मूलधन से भी अधिक हो जाता है। जो चुकाया जाता है, वह व्याज में ही चला जाता है मूल ज्यों का त्यों सदा रहता है। यदि जेवर, जमीन, मकान आदि गिरवी रखकर ऋण लिया गया है, तो उसके वापिस लौटने की आशा नहीं रहती। जिसके घर में दो-तीन बच्चियाँ हों, आमतौर से उसकी स्थिति तहस-नहस हुए बिना नहीं रहती।

ईमानदारी से, सीधे रास्ते से आज की परिस्थिति में उतना ही कमाया जा सकता है, जिससे किसी प्रकार गुजर हो सके। परिवार में ३-४ बच्चियाँ तो हो ही जाती हैं। दो-तीन भाई सम्मिलित रहते होंगे तो उनके ५-८ बच्चियाँ होना स्वाभाविक है। उनके विवाहों में हजारों रुपये चाहिये। सीधे परिश्रम से वह जुटाया नहीं जा सकता। इसलिए यह सोचना ही पड़ता है, कि किसी भी उचित, अनुचित रीति से कुछ अधिक कमाया जाए। लड़कियाँ आजीवन कुमारी नहीं रखी जा सकतीं। उसका विवाह करना ही पड़ता है। पैसों चाहिए ही। ईमानदारी से गुजर मात्र हो पाती है। अधिक कहाँ से आवे ? सोचते-सोचते एक ही मार्ग सूझता है, कि गलत उपाय से भी अधिक कमाने से संकोच न किया जाए। इस निष्कर्ष पर पहुँचने पर मनुष्य अपने धंधे में अपनी सूझबूझ और तरकीब के साथ बेईमानी करना आरंभ कर देता है। शादियों का खर्च जुटाने के लिए आखिर उसे और कोई मार्ग सूझता भी नहीं।

### अवांछनीय और विवेकपूर्ण—

इस प्रथा-परंपरा का प्रभाव समाज के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र और वर्ग पर पड़ता है। नारी की स्थिति दयनीय होती है। कन्या के जन्मते ही उसके अभिभावक उसे भार मानते हैं और दुर्भाग्य को सूचना के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसी अनिश्चित संतान अपने अभिभावकों तक के सच्चे स्नेह से वंचित रह जाती है। बात-बात में उसे लड़के की तुलना में हीनता अनुभव करनी पड़ती है। स्वाभिमान की भावना को पग-पग पर चोट लगते रहने से उसमें हीनता की आंति बन जाती है और फिर बड़ी होने पर भी वह मानसिक दृष्टि में पिछड़ी हुई डरपोक रह जाती है। कोई साहसरूप कदम उठाना या हिम्मतभरी

बात सोचना उसके लिए संभव ही नहीं रहता। उपेक्षा का अपने अवाँछनीय एवं अनावश्यक व्यक्तित्व का जब उसे ज्ञान होता है तो निराश और हारी हुई मनस्थिति में दिन गुजारने लगती है। आशा और उत्साह के अवसर सामने आने पर भी वह अपने में कुछ स्फूर्ति अनुभव नहीं करती। अपने देश की लड़कियों में अधिकांश की यही मनोवैज्ञानिक स्थिति है।

विवाह के लिए लड़के वाले देखने आते हैं और नाक-नक्श में, रंग-रूप में घर की तुलना न कर सकने के कारण इन्कार करके चले जाते हैं। सयानी लड़कियों को स्वभावतः इससे अपना तिरस्कार अनुभव होता है और वे इस विवशता पर खिन्नता एवं उदास ही बनी रहती हैं।

जिन लोगों ने माँ-बाप का सारा रक्त छूसकर अपने दहेज एवं धूमधाम की हविस पूरी की है। उनकी निष्ठुरता के प्रति मन ही मन घृणा के बीजांकुर जम जाते हैं। आखिर है तो वह भी मनुष्य ही। समझ तो उसमें भी है। दुनियाँ को देख, समझ तो वह भी सकती है। उसका जीवन समर्पण भी किसी को प्रसन्न न कर सके। धन के बूते ही वह किसी के घर में प्रवेश कर सके तो इससे ज्यादा निष्ठुरता एवं कृतघ्नता और क्या हो सकती है ? विवशता में वे ससुराल जाती तो हैं पर मन में घृणा और रोष भी भरे रहती हैं जो समय-समय पर चोट लगते ही घाव में होने वाली टीस की तरह प्रकट होता रहता है। वधुओं को चिड़चिड़ी, रूठने वाली असंतुष्ट, खिन्न और विद्रोह की स्थिति में अक्सर देखा जाता है। उसका मूल कारण उनके मन में जमी हुई वह घृणा होती है जो उनके पिता का घर अपने तनिक से लोभ और अहंकार की पूर्ति के लिए बर्बाद कर डालने के कारण उत्पन्न हुई होती है। घृणा के वह बीज जीवन भर जमे रहते हैं और वे अपने सास-ससुर यहाँ तक कि पति तक के लिए सच्चा सम्मान नहीं रख पाती। बाहरी शिष्टाचार की बात दूसरी है। मन में जब घृणा भरी पड़ी हो तो बाहर की लीपा-पोती से वह श्रद्धा और सेवा नहीं झलक सकती जो कि स्वर्ग जैसा वातावरण उत्पन्न करती है और अमृत जैसा रस भर जाती है। दहेज के लालची लोग इससे अपने तनिक से लोभ, स्वार्थ और अहंकार की पूर्ति कर लेते हैं पर यह भूल जाते हैं कि वे उसके बदले में कितने

गहरे विष बीज बो रहे हैं और लड़कों के—उसके माँ-बाप के मन में अपने ओछेपन की, दुष्टता की कितनी बुरी, कितनी गहरी छाप छोड़ रहे हैं। ऐसा पैसा किस काम का जो वधू तथा उसके अभिभावकों को द्वेष और धृणा छिपाए रहने के लिए मजबूर होना पड़ा।

हर गृहस्थ के यहाँ लड़कियाँ भी होती हैं। लड़के के समय पर उन्होंने जो दुष्टता बरती उसका दंड जब उन्हें दूसरों के उत्पीड़न का भुगतना पड़ता है तो आँखें खुलती हैं। तब ध्यान आता है कि कुकर्म का दंड भी मिलने की इस संसार में व्यवस्था मौजूद है। अपने लड़के के समय जो अहंकार में झूँझे हुए बाघ बने फिरते हैं उन्हें ही अपनी लड़की के समय बकरी बनकर भिभियाने के लिए विवश होना पड़ता है। दस दिन पहले अकड़ा और उठा फिरने वाला व्यक्ति दस दिन बाद जब दाँत निपोरते और धिधियाते हुए देखा जाता है तब प्रतीत होता है कि आदमी कितना ओछा और कितना बेपेंदी का है। तब उनका मुँह कोई भी बंद कर देता है कि आपने अपने लड़के के समय दूसरों का खून चूसा अब अपनी जेब खाली करने में क्यों कतराते हो। तब उनके पास कोई उत्तर नहीं रह जाता और सबसे सहानुभूति खोकर वे अपने को हारे हुए जुआरी की तरह सब ओर से व्यग और उपहास का पात्र अनुभव करते हैं। उनकी परेशानी से लोग रस लेते हैं और चाहते हैं कि उन्हें और भी अधिक तंग होना पड़े। जो दूसरों से लूटा, वह व्याज समेत चुकाना पड़े। बारात में जिन्हें खुशामद के साथ ले गए थे और जिनकी चापलूसी में बहुत खर्च किया था वे भी इस विपत्ति के अवसर पर सहानुभूति दिखाने की अपेक्षा उल्टे व्यंग कसते और मखौल उड़ाते देखे जाते हैं।

### राष्ट्रीय क्षति भी कम नहीं—

राष्ट्रीय क्षति का तो कहना ही क्या। भारत में २२ करोड़ की आबादी है। इसमें १ करोड़ गरीब परिवार हैं। इनमें सर्वथा हिन्दुओं के लगभग ६५ लाख परिवार हैं। प्रत्येक परिवार को एक पीढ़ी में यदि औसतन ४ विवाह करने पड़ते हैं और प्रति विवाह में दोनों पक्षों का मिलाकर न्यूनतम ५ हजार भी खर्च करना पड़ता है तो ४ विवाहों में २० हजार हुआ। २० हजार को ६५ लाख परिवारों के साथ गुणा

करें तो रकम ७२ पद्म रुपया हो जाती है। यह इतनी बड़ी राशि है कि हिन्दुस्तान को इतने में ही अमेरिका जितना सम्भव बनाया जा सकता है। हर वर्ष जो पैसा विवाहों में लगता है उससे भारत सरकार के समस्त बजट को चलाया जा सकता है। प्रत्येक परिवार यदि २० हजार रुपये की विवाहों में खर्च होने वाली राशि कुटीर उद्योग, पशु पालन, बागवानी, कृषि, परिवहन आदि कार्यों में लगा दें तो इसके फलस्वरूप वर्तमान आमदनी दूनी हो सकती है। यदि एक वर्ष का ही विवाहों वाला पैसा शिक्षा कार्य के लिये दे दिया जाए तो देश के प्रत्येक बालक को मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि, शिल्प, व्यवसाय आदि की शिक्षा का समुचित प्रबंध हो सकता है। प्रौढ़ों की निरक्षरता भी इन्हीं पैसों में दूर की जा सकती है। यदि यह बर्बादी रोकी जा सके और उसे सृजनात्मक कार्यों में लगाया जा सके तो भारत दस वर्षों के भीतर आर्थिक प्रगति में संसार के समस्त देशों के पीछे छोड़ सकता है।

इतनी बड़ी अर्थ शक्ति हम सर्वथा निरर्थक विवाहोन्माद जैसे मूर्खता पूर्ण काम में खर्च करते रहते हैं। इससे अनेक प्रकार की सामाजिक जटिलताएँ पैदा होती हैं। बराती लोग किसी शादी में जाने के लिए ठाठ-बाठ के कपड़े बनबाते हैं। औरतें सज-धज की तैयारी करती हैं। इसमें कितनी निरर्थक खरीद-फरोख्त होती है। बरातियों, संबंधियों का यातायात, काम घूटने से उत्पादन में कमी, अलन-चलन, नेग-जोग, उपहार व्यवहार का खर्च जोड़ा जाए तो वह भी सब मिलाकर शादी के खर्च में आधा तो जरूर ही हो जाता है। यह आर्थिक बर्बादी आखिर देश को गरीब ही तो बनाएगी। जो पैसा उत्पादन नहीं करता, उत्पादन को बढ़ावा नहीं देता, केवल अनुपयोगी कार्यों में खर्च होता है, वह अर्थशास्त्र की दृष्टि से बर्बादी की श्रेणी में ही रखा जाएगा और धन की बर्बादी से बेरोजगारी एवं गरीबी की ही वृद्धि होती है।

अपने गरीब देश को एक-एक पाई की बात करनी चाहिए और उसे मात्र ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जिससे उपयोगी उत्पादन बढ़े, लोगों को काम मिले और आमदनी बढ़े। विवाह-शादियों में होने वाला अपव्यय यदि रुक सके और उसे उत्पादन में लगाया जा सके तो देश के ६० लाख भिक्षुक और करीब ३ करोड़ बेकारों को काम मिल

[४] [विवाह यज्ञ है इसे जदूत उत्पात जैसा न कराएँ!]

सकता है और श्रम शक्ति के काम मिल जाने से हिन्दुस्तान जापान का अनुकरण करते हुए उतना ही संपन्न एवं समर्थ बन सकता है। यह होगा तभी जब बर्बादी को रोकने और उस शक्ति को उत्पादन में लगाने की व्यवस्था हो सके। इस दिशा में कदम बढ़ाने का शुभारंभ करते हुए हमें सबसे पहले विवाहोन्माद से पिंड छुड़ाना पड़ेगा और दहेज जैसी अनैतिक, असामाजिक और अवांछनीय कुरीतियों का उन्मूलन करने के लिए तत्पर होना पड़ेगा।

नैतिक, सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय दृष्टि से दहेज प्रथा—शादियों में पैसे की बर्बादी का अवांछनीय उपक्रम रोका जाना चाहिए। हर व्यक्ति को इस दुष्ट प्रथा के द्वारा होने वाली हानियों को समझना चाहिए ताकि उसके उन्मूलन के लिए हर व्यक्ति को सहमत कर सकना संभव हो सके।



## विवाह संस्कार को कौतुक न बनाया जाए

आज के भारतीय समाज में जो कुप्रथाएँ सबसे अधिक त्रस्त किए हुए हैं, वे विवाह के नाम पर होने वाले आडंबर हैं। इस सामान्य एवं स्वाभाविक, सामाजिक कृत्य को इतने अधिक अर्थहीन रीति-रिवाजों से भर कर इतना अधिक जटिल बना दिया गया है कि साधारण व्यक्तियों के लिए मुसीबत-सा बन गया है। जिस दिन से विवाह संबंध पक्का होता है तब से लेकर उसके अंतिम दिन तक इतने अधिक रीति-रिवाजों का निर्वाह किया जाता है कि वर-वधू के साथ उन दोनों के अभिभावकों को कई-कई दिन तक भूखा, प्यासा रहकर रात्रि जागरण करना पड़ता है।

इन रीति-रिवाजों और अनावश्यक व्यवहारों के अंतर्गत वर-वधू को न जाने कितने देवी-देवताओं और अन्य व्यक्तियों के पैरों डाला जाता है। न जाने कितने वृक्षों, थानों, दुराहों, तिराहों और चौराहों की पूजा कराई जाती है और यदि कोई समझदार वर-वधू यह सब करने में एतराज करते हैं तो उन्हें केवल कोप भाजन ही बनना पड़ता है।

इन बहुत से अनावश्यक रीति-रिवाजों तथा प्रथा-परंपराओं के कारण रुद्धियों की खूब चल बनती है। वे अशुभ आशंका के भय पर वर-वधू के अभिभावकों को अपना कठपुतली बना लेते हैं। डट-डटकर अपना आदेश चलाते और निर्देश पूरा कराते हैं। विवाह की भूमिका से लेकर उपसंहार तक वर-वधू तथा उनके अभिभावकों पर जी भर नेतृत्व झाड़ते हैं और अर्थ का शोषण करते हैं।

कभी-कभी इन रीति-रिवाजों, अलन-चलन अथवा नेग-जोग के प्रकारों, पूरा करने की विधियों, समय अथवा क्रमिकता के विषय में दो मूढ़ रुद्धियों में विवाद हो जाता है। तब घंटों का समय उसका निर्णय करने में खराब चला जाता है और बेचारे वर-वधू अथवा उनके अभिभावक उसको कराए जाने की प्रतीक्षा में हाथ बौधे, बौधे अथवा झोली फैलाए बैठे या खड़े रहते हैं। कभी-कभी रुद्धिवादियों का प्रतिष्ठा का प्रश्न बनकर हठ का रूप ले लेता है तब तो यह गाली-गलौज के स्तर तक पहुँच जाता है, जिससे विवाह जैसे शुभ कृत्य का वातावरण निहायत अशुभ तथा अवांछनीय हो जाता है। अब चौंकि इन रीति-रिवाजों एवं अलन-चलन का कोई निश्चित विधान तो होता नहीं कि जिसके आधार पर सर्वमान्य निर्णय कर लिया जाए। निदान वर-वधू अथवा उनके अभिभावकों को किसी एक पक्ष की बात मानकर रिवाज पूरा करना पड़ता है और तब ऐसी दशा में उनको उपेक्षित पक्ष के क्रोध, मनमुटाव और यहीं तक कि अशुभ शब्दों का भाजन बनना पड़ता है। और यदि दोनों पक्षों का मान रखने के लिये एक रस्म को दो तरह से पूरा किया जाता है तो बेकायदगी के कारण किसी को भी उसकी शुभता में विश्वास नहीं रहता। ऐसी अवांछनीय स्थिति में कितने समय, पैसे तथा भावनात्मक संपत्ति की कितनी हानि होती है इसका अंदाज लगा सकना रुद्धि-रोगियों की ताकत के बाहर होता है।

साथ ही निरर्थक कृत्य एक सिलसिले में इतनी देर तक चलते हैं कि बेचारे अभिभावक, वर-वधू के प्राणों से पड़ जाती है। उस लंबे समय में यदि उन्हें प्यास लग जाए अथवा लघु शंका की हालत होने लगे तब तो उनकी पीड़ा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार के निरर्थक आशयहीन और हानिकारक न जाने कितने रीति-रिवाज, चलन, व्यौहार और पूजा-पाठ के मूर्खतापूर्ण कृत्य व्याह

[ २६ ] विवाह यज्ञ है इस उद्घात जैसा न कराएँ !

की भूमिका से लेकर उपसंहार तक दिन और रात होते रहते हैं। यदि इन सबका अर्थ उन करने और कराने वालों से पूछा जाए तो वे—“ऐसा होता है अथवा ऐसा चला आया है”—इसके सिवाय कोई भी बुद्धि-संगत उत्तर न दे सकेंगे। इस प्रकार के चले आ रहे बुद्धिहीन रीति रिवाजों को ही रुढ़ियाँ कहते हैं, हिन्दू समाज में जिनकी संख्या अपरिमित हो गई है।

हिन्दू-समाज में विवाह-शादियों के अवसर पर होने वाले रीति-रिवाज न केवल संख्या में ही बढ़ गए हैं। बल्कि मूढ़ता की शक्ति पाकर इतने प्रबल हो गए हैं कि अपने सामने शास्त्रीय विधि-विधान को नहीं ठहरने देते। हर व्याह-शादी में देखा जा सकता है कि वास्तविक वैदिक कृत्य न किए जाने से पूर्व बुद्धिया-विधान को मान्यता दी जाती है। इसलिए हर समझदार पंडित अथवा पुरोहित अपना शास्त्रीय कृत्य प्रारंभ करने से पूर्व स्वयं ही कह देता है पहले सब लोग अपनी-अपनी रस्म पूरी कर लो तब मैं अपना काम शुरू करूँ। क्योंकि वह जानता है कि यदि रुढ़ि-रोगियों को उनकी इच्छानुसार अवसर न दिया गया तो यह मन्त्रोचारण को भी बीच में रोक कर अपनी-अपनी कहने और करने लगेंगे। इस प्रकार यदि गंभीरतापूर्वक देखा जाए तो स्पष्ट पता चलेगा कि हिंदुओं की वर्तमान विवाह पद्धति में शुरू से लेकर आखीर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक केवल रुढ़ियों तथा मूढ़तापूर्ण प्रथाओं का ही प्रभाव है। शास्त्रीय विधि-विधान का कोई महत्त्व नहीं है।

कहना न होगा कि हिंदुओं के विवाह संस्कार को शुरू से आखीर तक कोई अनभ्यस्त व्यक्ति देखे तो वह इसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि हिन्दू-समाज वास्तव में अविवेकी, असंस्कृत और अज्ञानी है। उसका विवाह जैसा संस्कार एक शुद्ध सामाजिक संस्कार न होकर किसी पागल की उठावा-धरी जैसा एक उपहासास्पद कौतुक ही है।

### मर्यादाएँ भंग न की जाएँ—

हम कभी मुसलमानी शासनकाल को अपने पतन का कारण समझ कर उसे कोसने लगते हैं, कभी ब्रिटिश साम्राज्य में दोष निकालने लगते हैं, कभी भारतवर्ष के धर्मों को इस दुर्दशा का

उत्तरदाई ठहराते हैं और शिक्षा परिपाटी को बदनाम करने लगते हैं। संभव है कि इस तरह के छिद्रान्वेषण में हम किसी सीमा तक ठीक हों किंतु वास्तविक लांचन तो उस अपवित्रता के शिर पर आता है जो संसार में पवित्र संबंध को, जो विवाह है, अपवित्र कर देती है, और यह वही संबंध है जिससे हम सब भारतवासी उत्पन्न हुए हैं और जिसने हमको ऐसा बना रखा है जैसे हम आज हैं। इस अत्यंत आवश्यक और अति पवित्र प्रथा की ओर अत्यंत वेपरवाही, अत्यंत निर्लज्जता और अत्यंत मूर्खतापूर्ण विधि से ध्यान दिया जाता है। जन्मपत्री का मिलान, ज्योतिष शास्त्र की गिनती, शुभ शकुनों की पहचान, मंत्रों के गान और असीम पवित्र रीति के होते हुए भी भारतवर्ष में विवाह, बुरे समय, अशुभ शकुन से और अपवित्र होते हैं। कोई भी नक्षत्र ऐसे अशुभ घरों में नहीं ठहर सकते, जहाँ वे देख रहे हों कि अल्पायु बच्चों के विवाह नक्षत्रों के लगन और मुहूर्त के नाम से हो रहे हैं। इस दृश्य को, जो मनुष्यत्व से विपरीत बाल्क पशुत्व से भी नीचे है, देख कर वे भय के मारे काँपने लगते हैं। ऐसे पति-पत्नी के अपवित्र विवाह को जो अपने निर्वाह का प्रबंध तक स्वयं नहीं कर सकते, पवित्र करने में पवित्र वेद की ऋचाएँ भी अपना प्रभाव खो देती हैं और उसी समय से वे सदैव के लिए प्रभाव शून्य हो जाती हैं। देश में अयोग्य, कर्तव्यहीन, निकम्मे और मुफ्तखोरों के उत्पन्न करने के लिए निर्धनों के विवाह करने वाली प्रथा की दूषित दुर्गंध के सम्मुख किन पुष्टों में ऐसी सामर्थ्य है जो अपनी सुगंध स्थिर रख सकें।

सदाचार के नाम पर, भारत माता के नाम पर, अपने लिये और अपनी सतान के लिए कृपा करके इन विचारहीन कुसमय और अंधाधुंध विवाहों को जो देश में हो रहे हैं, रोकें। ऐसा करना लोगों को पवित्र कर आबादी वाली समस्या को भी किंचित हल कर देगा। मान लो कि ये प्रस्ताव प्रकृति-नियम के विरुद्ध हैं। किर भी तुम्हें प्राण-नाशक दुर्भिक्ष और सिंप्तक-सिसक कर मारने वाली मृत्यु के कोडे खाकर इन आदेशों पर चलना पड़ेगा। इसमें अत्युक्ति नहीं। इन शब्दों में तो कठोर घटनाएँ और दारुण वास्तविक तथ्य छिपे हुए हैं। सारे संसार के किसी भी सम्य समाज से पूछ देखो—क्या बाल-विवाह और अक्षतयोग्य-विधवाओं की दुर्दशा संसार में

[२८] विवाह यज्ञ है इसे उद्घात उत्पात जैसा न बनाएं !

प्रकृति-नियम के घोर विरुद्ध नहीं है ? क्या तुम में मनुष्यत्व का कोई परमाणु शेष रह गया है ? तब इस अमानुषिक और अप्राकृतिक रीति-रिवाज के रोके बिना भला तुम्हें कैसे चैन आ सकता है ? बाल विधवाओं के सुकोमल बाहु सहायता के लिए अज्ञाततः फैले हुए हैं। तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हारी अग्निवत् रीति-रिवाज की विता पर ये जीती-जागती सतियाँ जल रही हैं और इनकी निर्दोष रोती हुई आँखों द्वारा साक्षात् भगवती तुम्हारी ओर सहायता के लिए देख रही है। कब तक तुम रोती-चिल्लाती भवानी से मुख मोड़े रक्खोगे ? यदि तुम कान में कड़ुआ तेल डालकर बैठ जाओगे, अर्थात् उनके रोने-चिल्लाने को कुछ काल तक न सुनोगे, तो यह भयानक रक्त की प्यासी और बदला लेने वाली चुड़ैल बन जाएगी।

योरोप में जितने ही नीची श्रेणी के लोग होते हैं उतने ही शीघ्र उनके यहाँ विवाह भी होते हैं। किंतु इसमें संशय नहीं है कि जितना शीघ्र हिन्दुस्तानियों का विवाह होता है, उतना शीघ्र से शीघ्र नीच जाति का भी वहाँ विवाह नहीं होता। उन्नत जातियाँ ३० वर्ष से पहले बहुत ही कम शादी-विवाह करती हैं। उनका यह ख्याल है कि बच्चे कम हों, किंतु योग्य हों।

हर्बर्ट स्पेसर ने अपने 'जीवन शास्त्र के सिद्धांत' में इस बात को दिखलाया है कि ज्यों-ज्यों मानसिक उन्नति अधिक होती है, त्यों-त्यों संतानोत्पादन शक्ति कम हो जाती है, संतानोत्पादक शक्ति को ही जो प्रायः समस्त प्राणियों में रहा करती है, अपना लक्ष्य बनाकर हम अपने आपको कब तक इतना नीचा बनाए रखेंगे ? वस्तुतः आज की स्थिति में विवाह पवित्र धर्म-कृत्य न रहकर लड़के-लड़कियों का उनके अभिभावकों द्वारा सौदा तथा विवाहित जीवन में कामुकता का व्यापार भर रह गया है।

### परंपरा पद्धति समयानुकूल बने—

इन दिनों हमारे समाज में जो वैवाहिक विकृतियाँ आ गई हैं उनका निराकरण जब तक नहीं किया जाएगा तब तक न तो व्यक्ति का कल्याण संभव है और न समष्टि का। समाज का बहुत कुछ आधार विवाह-संस्था पर ही है। उसके दूषित हो जाने से परिवार में खराबी आ जाती है और परिवारों के बिगड़ने से जाति की प्रगति में

रोड़ा अटक जाता है। यह दृश्य आजकल हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है। यदि यह कहा जाए आजकल सौ विवाहों में से ८० किसी न किसी दृष्टि से दूषित होते हैं और इसके परिणामस्वरूप उन सब लोगों का जीवन तरह-तरह के कष्टों और असंतोष से व्याप्त हो जाता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। यदि हम इस स्थिति का सुधार करके अपनी जाति को स्वस्थ और सशक्त बनाना चाहते हैं तो विवाहों में धुसी दूषित प्रथाओं को दूर करके उनके सही रूप की पुनः स्थापना करनी चाहिये।

### आयु और स्वास्थ्य का निरीक्षण—

सबसे पहले आवश्यक बात वर-कन्या के स्वास्थ्य की उत्तमता और उनकी आयु का अनुपात शरीर शास्त्र के सिद्धांतानुसार होना है। आजकल लाखों विवाह छोटी अवस्था में कर दिए जाते हैं जिससे वर-कन्या के शरीर परिपक्व होने से पहले ही वे दांपत्य-जीवन बिताने लगते हैं और इससे स्वास्थ्य सदा के लिए निर्बल हो जाते हैं। इनके सिवाय यदि लड़की नई उम्र की और वर अधेड़ या बूढ़ा हुआ, जैसा यहाँ दूसरा विवाह करते समय हुआ करता है तो भी बेमेल जोड़ी होने से स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है और मन के ठीक तरह न मिलने से भी कई अन्य तरह की हानियाँ होती हैं और लड़कियों को प्रायः कई प्रकार के योन-रोग भी लग जाते हैं।

वर-कन्या निरोग और स्वस्थ हों इस बात पर अब बहुत ध्यान दिया जाता है और कई देशों में तो वर-कन्या के स्वास्थ्य की डॉक्टरी जाँच किए जाने का प्रचलन हो रहा है। यह बात हमको चाहे भारतवर्ष में विवाह-प्रथा की वर्तमान दुरवस्था देखकर नई जान पड़े, पर स्मृतियों में इस बात को जोर देखकर लिखा गया है कि वर-पक्ष कन्या के स्वास्थ्य तथा शील सदाचार की जाँच कर लें और इसी प्रकार कन्या-पक्ष भी वर के संबंध में इन बातों का ठीक-ठाक पता लगा लें। विवाह जैसे आजीवन बंधन में बँधते समय इस का भली प्रकार निश्चय कर लेना चाहिये कि जिसके साथ हमको समस्त जीवन व्यतीत करना है वह इस योग्य है भी या नहीं ? इसके लिये अभिभावकों का धर्म है कि समान गुण, कर्म, स्वभाव के जोड़े ढूँढ़ने का प्रयत्न करें। पर खेद है कि इस युग में धन का महत्त्व लोगों की

दृष्टि में इतनो बढ़ गया है कि उसके सामने लोग इन सब बातों को भूल जाते हैं और वर-कन्या के गुण-दोषों का मिलान न करके धन का मिलान करने लगते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि धनी माँ-बापों की अयोग्य कन्यायें सुयोग्य वरों को व्याह दी जाती हैं और गरीबों की सब तरह से सद्गुणी और सुशील कन्याओं को निकम्मे अथवा दूषित आचरण के लोगों के गले मढ़ दिया जाता है। इसी प्रकार दहेज की व्यवस्था न होने से जब लड़कियाँ बहुत बड़ी हो जाती हैं तो लाचार होकर ऐसे बड़ी उम्र के साथ विवाह कर देना पड़ता है जिनसे उनका मेल नहीं मिल सकता और स्त्री-पुरुष दोनों को असंतोष का जीवन दिताना पड़ता है। ये सब कुपरिणाम विवाह-प्रथा में कई तरह की गलत मान्यताएँ घुस जाने और खासकर विवाह का खर्च बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण ही निकलते हैं।

### छुटाई-बड़ाई का भ्रम दूर किया जाए—

कुछ समय से समाज में एक मान्यता यह प्रचलित हो गई है कि लड़की वाले का दर्जा लड़के वाले की अपेक्षा कम होता है और उसे सदा प्रसन्न रखने, उसकी खुशामद-दरामद करते रहने की आवश्यकता है। जो लोग अपनी हैसियत से बड़े घरों में लड़की देना चाहते हैं और उनके दहेज की रकम कम करने की प्रार्थना करते फिरते हैं, वे ऐसा आचरण भी करते हैं। पर हमको तो इस मनोवृत्ति में कोई सार या वास्तविकता नजर नहीं आती। विवाह एक ऐसा कार्य है जिसकी दोनों पक्षों को आवश्यकता होती है, दोनों का हित होता है। ऐसी दशा में एक को छोटा समझा जाए और दूसरे को बड़ा यह बिल्कुल बेतुकी बात है।

अगर गंभीरता से विचार किया जाए तो इस कार्य में बड़प्पन लड़की वाले का ही मानना चाहिये क्योंकि वह अपने बहुत धन और श्रम द्वारा पाली-पोसी कन्या को निस्वार्थ भाव से दूसरे को देता है तो इसमें छोटेपन की क्या बात है ? अब भी पहाड़ों में इसी तथ्य के आधार पर वर से लड़की का मूल्य लिया जाता है और यहाँ भी किसी कारणवश जिनका विवाह होने में कठिनाई होती है वे किसी रूप में कन्या पक्ष को कुछ देकर विवाह करते हैं। यदि ऐसा ही तरीका सब लड़की वाले अद्वितीयर करले तो फिर लड़के वाले का

दर्जा कैसा हो जाए ? वास्तव में ये सब बात गलत और मुख्यता अथवा नीचे दर्जे के स्वार्थ की हैं। विवाह संबंध में दोनों पक्षों का समान है और उनको परस्पर वैसा ही व्यवहार करना चाहिए।

### विवाह एक धार्मिक आयोजन है—

इस दूषित वातावरण को सुधारने का एक मात्र उपाय यह है कि हम अपने प्राचीन आदर्श के अनुसार विवाह को एक धार्मिक संस्कार समझें। उसके अनुसार देवताओं की साक्षी में दो आत्माओं को एक सूत्र में बाँधा जाता है और यह प्रतिज्ञा की जाती है कि हम एक-दूसरे के प्रति सच्चे रहते हुए संपद-विपद में एक-दूसरे के साथी बने रहेंगे। इस अवसर पर जिन वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उसका आशय भी यही है कि वर-कन्या को ऐसे पवित्र सूत्र में बाँधा जाए जिससे वे धर्म कृत्य का पालन करते हुए मानव-जन्म को सफल बना सकें। उनमें ऐसी कोई बात नहीं बतलाई गई है जिससे विवाहों के आङ्गबरपूर्ण प्रदर्शन और पचासों तरह के रस्म-रिवाजों का समर्थन हो सके पर आजकल विवाह के धार्मिक विधान पर ध्यान न देकर इन रस्मों को ही सब कुछ समझ लिया गया है। विवाह कराने को तो किसी ऐसे पंडित नामधारी को बैठा दिया जाता है जो न मंत्रों को शुद्ध उच्चारण कर सकता है न उनका अर्थ समझता है। तब वह उनका आशय और महत्त्व वर-कन्या को क्या समझाएगा ? दूसरी तरफ रस्मों का कार्य जिन बूढ़ी स्त्रियों अथवा पुराने पंच चौधरियों के मतानुसार दिया जाता है जरा-सी भी त्रुटि हो जाए तो वे ऐसा शोर मचाते हैं कि मानों सब विवाह ही भ्रष्ट और निरर्थक हो गया। इससे लोगों की धर्म नियमों संबंधी अज्ञानता तथा रुदिप्रियता प्रकट होती है, जिसका बदला जाना आवश्यक है। ये रस्म-रिवाजें हर जाति में और हर प्रांत में अलग-अलग पाई जाती हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो कि एक-दूसरे से बिल्कुल विपरीत जान पड़ती हैं। इनके कारण हिंदू विवाह की एकरूपता नष्ट हो गई है और अन्य लोगों की दृष्टि में उसका महत्त्व जाता रहा है। इसाइयों के विवाह संसार भर में गिर्जाघर के भीतर पादरी द्वारा एक ही विधान से होते हैं और मुसलमानों का विवाह भी सर्वत्रे काजी द्वारा एक ही ढंग से पढ़ाया जाता है। इससे उनका पुराना महत्त्व कायम है। हमको भी सैकड़ों

[ ३२ ] विवाह यज्ञ है इसे उद्घात उत्पात जैसा न कराएँ !

तरह के रस्म-रिवाजों और अलन-चलन का अंत करके विवाह कार्य कराना चाहिये जिससे भिन्नता का अंत होकर हिंदू-विवाह उत्कृष्ट रूप में संसार के सामने आए।

### निराकरण के लिये ठोस प्रयास

विवाह विकृतियों के निराकरण हेतु जब तक प्रगतिशील और विचारवान् व्यक्ति आगे नहीं आएंगे तब तक ये कुरीतियाँ समाज को दीमक की तरह चाटती रहेंगी। यह कहना बेमानी है कि वर्तमान परिस्थितियों में, इन कुरीतियों की व्यापकता को देखते हुए कोई उपाय ही नहीं है। इस तर्क का सहारा लेना अपनी भीरुता और कायरता को ही प्रदर्शित करता है। इसी कारण पिछले एक हजार वर्ष के अज्ञानांधकार में हमें मुट्ठीभरं विदेशियों द्वारा पददलित होना पड़ा। इसका कारण कोई भौतिक विवशता एवं असमर्थता नहीं थी केवल एक ही दुर्बलता थी कि हम अनीति के साथ समझौता करने वाले और अनुपयुक्त को सहने वाले भीरु-मानस बन गए थे। कायर और कलीव कितने ही साधन संपन्न हों दुष्टताओं के निरंतर शिकार होते रहेंगे और श्वेषण एवं उत्पीड़न की शिकायत करते सदा ही सुना जाएगा। अपनी भीरुता और मानसिक दीनता का दंड हम बहुत पा चुके। अब अपने पास बचा ही क्या है—जो था उसका बहुत बड़ा भाग खो चुके। जो है, उसकी सुरक्षा का साधन तभी बनेगा जब हमारे भीतर मानवोचित शौर्य और साहस का उदय हो। अनीति से लड़ने के लिये—अनाचार को हटाने के लिये जिसकी भुजाएँ नहीं फड़कतीं जिनके आँखों के तेवर नहीं चढ़ते उन्हें अनंत काल तक शोषण, उत्पीड़न के अपमान के कड़वे धूंट अपनी कायरता के दंड में अनंत काल तक पीने पड़ेंगे। इस दुनिया को बीरभोग्य बताया गया है। आनंद और उल्लास केवल बहादुरों के हिस्से में आया है। भीरु और निस्तेज व्यक्ति तो दुखड़ा रोने के लिये ही बनाए गए हैं। वे अपने को बदलने के लिए तैयार न हों तो कम से कम निरंतर विपत्तियाँ सहते और अनीति के शिकार बने रहने के लिए तो तैयार होना ही पड़ेगा।

जीवित रहने के लिए अवांछनीयता के साथ संघर्ष करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है इस तथ्य को हम जितनी जल्दी

समझ लें उतना ही उत्तम है। व्यक्तिगत जीवन में समाविष्ट, मूढ़ता, अदूरदर्शिता भीरुता और अंधानुकरण की प्रवृत्ति से लड़ना ही चाहिए और अपने आपको विवेकशील, न्यायनिष्ठ एवं सत्यभक्त के रूप में प्रस्तुत करना ही चाहिये। यह परिवर्तन संपन्न हुए बिना हमारे जीवन का तेजस्वी अस्तित्व प्रकाश में न आ सकेगा और हम कुठाओं एवं कुत्साओं से ही ग्रसित बने रहेंगे। समाज को सुसंगठित एवं सुविकसित बनाने के लिए भी उसमें समता, एकता, सुचिता, एवं समता की प्रवृत्तियों को बढ़ाना पड़ेगा। शोषण, उत्पीड़न, छल, दंभ एवं संकीर्णता की जो दुष्प्रवृत्तियाँ सामाजिक जीवन की नस-नस में समा गई हैं उनका आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। स्वस्थ मान्यताएँ एवं सत्प्रवृत्तियाँ ही किसी राष्ट्र या समाज को सबल, समर्थ एवं संगठित कर सकने में सफल होती हैं अस्तु, समाज का वर्तमान अवांछनीय स्तर भी बदलना ही होगा। यह कार्य अनायास अपने आप ही न हो जाएँगे। व्यक्ति और समाज के वर्तमान स्तर का यदि कायाकल्प करना है तो उसके लिए ऐसा प्रबल प्रयत्न करना होगा जिसे संघर्ष नाम ही दिया जा सके।

परिवर्तन के लिये संघर्ष की नितांत आवश्यकता है। लोगों की आदतें—विशेषतया बुरी आदतें—मात्र कहने-सुनने से नहीं बदलती। बदलाव झटके के साथ आता है—सरलता से वह सब हो ही नहीं सकता। प्रचार की लोक शिक्षण की दृष्टि से सिखाने-पढ़ाने की प्रक्रिया का उपयोग हो सकता है लोग आलोचना, निंदा और विरोध सुनने में रुचि भी लेते हैं और मौखिक समर्थन भी सुधारवाद का करते हैं पर जब परिवर्तन के लिए सक्रिय कदम उठाने का अवसर आता है तब देखा जाता है कि बढ़-चढ़कर बातें बनाने वाले भी पीछे हटने और बगलें झाँकने लगते हैं। अतएव अवांछनीय परिवर्तन लाने के लिए ऐसे आंदोलन खड़े करने पड़ते हैं जिनमें कितने ही लोग भाग लें और उनका अनुकरण करने के लिए दूसरों को साहस प्राप्त हो। देखा-देखी की प्रवृत्ति लोगों में पाई जाती है जहाँ बुरी बातों का अनुकरण किया जाता है वहाँ आदर्शवादी कार्यपद्धति यदि चल पड़े तो लोग उसका अनुकरण भी करते हैं।

गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन करते हुए एक छोटा मोर्चा प्रारंभ किया था जिस पर आसानी से और व्यापक क्षेत्र

[ ३४ ] विवाह यज्ञ है इसे उद्घात उत्पात जैसा न कराएँ !

में सरकार के कानून उल्लंघन का संघर्ष प्रारंभ किया जा सके। नमक सत्याग्रहियों की एक छोटी प्रक्रिया थी, पर उसने कानून तोड़ने और सरकार से लड़ने की प्रवृत्ति व्यापक क्षेत्र में फैला दी और फिर वह अभियान अनेक मोर्चों पर विकसित होते हुए इतना बढ़ा कि अंग्रेज सरकार की—लम्बी अवधि से चली आ रही राजनैतिक पराधीनताएँ को पलायन करने के लिए ही विवश होना पड़ा। सामाजिक और नैतिक क्रांति के लिए हमें एक छोटा मोर्चा प्रारंभ में चुनना चाहिए और ऐसे संघर्षात्मक आंदोलन का सृजन करना चाहिए जिसे व्यापक क्षेत्र में विकसित किया जा सके। प्रारंभ भले ही छोटा और सीमित हो पर ऐसा संघर्ष रुके तभी जब परिवर्तन की समग्र आवश्यकताएँ तथा दिशाएँ प्रभावित हो जाएँ। हजार वर्ष की गुलामी के कारण हमारी विचारधाराओं, प्रवृत्तियों और गतिविधियों में अवाञ्छनीय तत्वों का—मूढ़ता एवं अनैतिकता का—इतना समावेश हो गया है कि वे पग-पग पर शांति और सुव्यवस्था में बाधक सिद्ध हो रही हैं। समय का तकाजा है कि उन्हें बदला जाए—अन्यथा वे हमारे लिए और भी अधिक अधः पतन की विभीषिका उत्पन्न करेंगी।

मूढ़ता को विवेकशीलता में—अविवेक को औचित्य में—परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक जन आंदोलन की—संघर्षात्मक कार्यक्रम की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी—समय आ गया है कि उसका शुभारंभ किया जाए। इसके लिये एक महत्त्वपूर्ण मोर्चा—विवाहोन्माद के उन्मूलन करने का आधार लेकर खड़ा किया गया है।

व्यक्ति तथा समाजसेवी संस्थाएँ अपने कार्यक्रमों का महत्त्वपूर्ण अंग यदि विवाहोन्माद के निराकरण को मान लें और अपनी गतिविधियों में इस प्रक्रिया को भी जोड़ लें तो देश में बिखरे हुए अनेक धार्मिक, सामाजिक संगठन थोड़ा-थोड़ा भी प्रयत्न करें तो सब मिलाकर बहुत काम हो सकता है।

जातीय संगठनों, संस्थाओं और पत्रों की रीति-नीति में तो यही प्रमुख प्रयोजन होना चाहिये कि दुष्प्रवृत्तियों से लड़े और अपने वर्ग को नैतिक दृष्टि से अधिक परिष्कृत बनाने को कठिकद्ध हों। इस दृष्टि से 'विवाहोन्माद' का निराकरण सबसे महत्त्वपूर्ण एवं प्रथम पंक्ति

में रखे जाने योग्य कार्य है। जातीय पंचायतें फैसले करें—प्रस्ताव पास करें कि उनके वर्ग में विवाहों की खर्चीली प्रथा बंद की जाएगी और अगणित मूढ़ताओं की रीति-रिवाजों का बहिष्कार कर अति सादगी और भित्त्यायिता पूर्वक विवाह-शादी किये जाया करेंगे। हर वर्ग अपनी संकीर्णता को घटाए और विशालता को बढ़ाए तो उसे उपजातियों को मिलाकर एक बड़ी जाति मात्र रहने देने की उपयोगिता हर दृष्टि से विवेकपूर्ण एवं हितकर दिखाई देगी। जातीय पंचायतें यदि यह सुधारात्मक कार्य हाथ में लें और उसे पूरा करने में जुट पड़े तो वे अपने अस्तित्व की उपयोगिता सिद्ध कर सकती हैं। अन्यथा संकीर्णता एवं विभेद की खाई बौड़ी करने वाली विडंबनाओं में ही उनकी गणना होती रहेगी।

देश में अनेक पत्र-पत्रिकायें निकलती हैं और उनमें से सभी सुधारवाद, विवेक एवं औचित्य का समर्थन करती हैं। अच्छा हो सभी एक न्यूनतम संयुक्त कार्यक्रम बनाकर उसमें विवाहोन्माद के प्रतिरोध एवं आदर्श विवाहों की परिपाटी चलाने को प्राथमिकता दे सकें। सभी पत्र इस संदर्भ में लोकमत जागृत करें और प्रचलित रुद्धिवादिता को हटाने के लिए एक व्यवस्थित आंदोलन खड़ा कर दें। मूढ़ता की हानियों और दूरदर्शिता की आवश्यकता को यदि कहानी, कविता, समाचार, लेख आदि माध्यमों से प्रस्तुत करना आरंभ कर दें तो इस दिशा में लोकमत जगाया जा सकता है और प्रचलित लोगों के मरित्तष्क पर विवाहोन्माद का चढ़ा हुआ नशा उतारा जा सकता है।

अभिनय, गायन, एकांकी, प्रहसन, फिल्म, स्वाँग आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सुधारवाद का समावेश किया जा सकता है और इस पंक्ति में विवाहोन्माद के उन्मूलन को प्राथमिकता दी जा सकती है।

लेखक, कवि एवं प्रकाशक ऐसे साहित्य का सृजन एवं प्रसारण कर सकते हैं जो विवाह व्यवसाय के रोमांचकारी दुष्परिणामों से परिचित कराए और इस पद्धति के विरुद्ध धृणा एवं रोष उत्पन्न करें। वक्ता और गायक अपनी वाणी से समाज की इस भ्रष्ट प्रणाली पर तीखे प्रहार कर सकते हैं और जन मानस में यह तथ्य एवं तर्क प्रतिष्ठित कर सकते हैं कि बिना दहेज, बिना जेवर, बिना धूमधाम के अति सरल और सादा विवाह-उत्सवों का प्रचलन ही अनीति की

[३६] विवाह यज्ञ है इसे उद्धत उत्पात जैसा न बनाएं !

कमाई करने एवं दिन-दिन दरिद्र बनने जाने की विभीषिका से छुड़ा सकता है। राजनेता यदि चाहें तो इस संदर्भ में कड़े कानून बना सकते हैं और ऐसी अवांछनीय कुरीतियों पर अंकुश लगा सकते हैं। धर्मतंत्र के माध्यम से मंदिरों, मठों, पंडित, पुरोहितों एवं धर्म संप्रदायों के केंद्र यदि इस प्रकार की प्रतिष्ठा को ही धर्म की सच्ची सेवा मान लें और इस संदर्भ में अपने प्रभाव के उपयोग करें तो भी बहुत कुछ सत्परिणाम की आशा की जा सकती है। इस प्रकार आदर्श उपस्थित करने वालों का सार्वजनिक अभिनंदन एवं पत्र-पत्रिकाओं में सराहना छापने से भी विचारशील लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। दूसरांगीयों की निंदा एवं भर्त्सना का कुछ क्रम चलता रहे उन पर ध्विककार पड़ती रहे और आलोचना होती रहे तो भी इस गलित कुष्ठ जैसी महामारी के निवारण का बहुत कुछ प्रबंध हो सकता है।

उपाय अनेक हैं। रास्ते बहुत हैं। आवश्यकता उन पर चलने के लिये प्रोत्साहन करने की है और ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने की है जिनका अनुकरण करने के लिए सर्व साधारण का उत्साह जगाया जा सके। प्रबुद्ध वर्ग का उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य है कि अपने समय की दुष्प्रवृत्तियों से जूझने और सत्प्रवृत्तियों की प्रतिष्ठापना करने के लिए समय निकाला जाया करे और अपने प्रभाव एवं चातुर्य का ऐसा उपयोग करें जिससे अपने समय की इस सबसे अधिक कष्टकारक दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन संभव हो सके।



## आदर्श विवाहों का प्रचलन कैसे हो ?

विवाह कुरीतियों का निराकरण और आदर्श विवाहों का प्रचलन आज के समय में अपने समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण माँग कहना चाहिए। वैवाहिक कुरीतियाँ प्रत्येक विचारशील व्यक्ति की औंखों में खटकती रही हैं और उसके निवारण के लिए यथासंभव प्रयत्न भी किए जाते रहे हैं।

सुधारक मंचों से और पत्रों में भी इस प्रकार की चर्चा आमतौर से होती रहती है। फिर भी देखा यही जा रहा है कि स्थिति जहाँ की तहाँ है। वास्तविक सुधार नहीं के बराबर हुआ है। सच पूछा जाए तो जिन लोगों ने इस 'अंधेर नगरी' के बूझ राजा' के जमाने में अंधाधुंध पैसा बना लिया है उनके सामने देश, धर्म, समाज, संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं है। अपनी अभीरी का भोड़ा विज्ञापन करने के लिए शादियों के मैदान में वाहवाही लूटने के लिए ही उतर पड़े हैं और बहुत विवाहों में तो इतना खर्च देखते हैं जिससे मालूम पड़ता है हम लोग जरूर हैनरी, राक फेलर या निजाम हैदराबाद की समता में दौलत कमा चुके। नहीं तो फिजूलखर्ची में उड़ाने के लिए इतना पैसा कहाँ से पाते ? तात्पर्य यह है कि सुधार आंदोलनों के बावजूद विवाहों का खर्च घट नहीं बढ़ ही रहा है। कुप्रथा मरने के स्थान पर प्रौढ़ होती चली जा रही है। सुधार के प्रयत्न निष्कल हो रहे हैं और मूढ़ता अँगूठा दिखाकर नंगा, नाच, नाच रही है।

हमें गंभीरता से इस असफलता के कारणों पर विचार करना होगा कि सर्व समर्थित उपयोगिता इस प्रकार क्यों तिरस्कृत और उपेक्षित होती है जबकि उसे बहुत पहले ही सफलता और प्रतिष्ठा मिल जानी चाहिए थी।

कारण एक ही है कि बेईमानी व्यक्ति—बेईमानी की नीयत छिपाए रखकर बेईमान के क्रिया-कलापों में तो सफल हो सकते हैं पर भीतर से बेईमानी धारण किए रहें और बाहर से ईमानदारी का आवरण बनावें तो पार पड़ती नहीं है। कोई काम भला हो या बुरा—सफलता के लिए भीतर और बाहर से एकात्मकता होनी चाहिये। वेश्याएँ अपने क्रिया-कलाप में सफल हो जाती हैं क्योंकि वे जो सोचती हैं वही करती भी हैं। डाकू भी सफल होते हैं क्योंकि उनके सोचने और करने का एक ढंग है। पर संतों और उपदेशकों की कोई नहीं सुनता, कारण एक ही है वे जो जीभ से बकवास करते हैं उस पर स्वयं आचरण नहीं करते, धार्मिक प्रवचनों की भी स्वांग-तमाशों की तरह धूम रहती है। लोगों का थोड़ा कौतूहल मनोरंजन हो जाता है पर उन शिक्षाओं से सुनने वालों में से शायद ही कोई प्रभावित होता हो क्योंकि वक्ता के आचरण की पोल जब उन्हें मूलम होती है तब पता चलता है कि हाथी के दाँत दिखाने और खाने के अलग-अलग हैं।

सुनने वाले भी वही सीखकर जाते हैं कि धर्म वेदांत की चर्चा भर करते रहना पर्याप्त है। उन आदर्शों का जीवन में उतारना आवश्यक नहीं। यदि आवश्यक रहा होता तो उसे उपदेशकर्ता स्वयं ही क्यों न उतारते ? यह एक ही दूर्बलता धार्मिक प्रवचन कर्ताओं के प्रयत्नों को मटियामेट कर देती है कि वे मन और कर्म से एक नहीं हैं। इसके विपरीत वेश्याएँ, डाकू नशेबाज अपने काम पूरे ही नहीं करते अनेक साथी भी बना लेते हैं और अपना क्रिया-कलाप सिखाकर कितनों को ही पारंगत पटु शिष्य विनिर्भित कर देते हैं।

सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के संबंध में भी यही बात लागू होती है, दूसरों से सुधरने की बात कहें और स्वयं उसी करतृत में चिपके रहें तो उपवास के सिवाय और क्या हाथ लगता है। तथाकथित सुधारकों ने यदि लेख, प्रवचन, प्रस्ताव आदि के साथ-साथ उस प्रक्रिया को अपने घरों में चलाया होता तो अब तक स्थिति आमूल-चूल बदल गई होती। सुधारक विचार रखने वालों की संख्या कम नहीं है। बहस के अवसर पर वे अपना समर्थन क्रांति के पक्ष में ही देते हैं पर जब लाभ और स्वार्थ का प्रश्न आता है, हिम्मत दिखाने की जरूरत पड़ती है तभी फिसल जाते हैं और जो कहते थे ठीक उसके विपरीत करने लगते हैं। इस विडंबना ने ही अब तक के सारे सुधार प्रयत्नों को निष्फल किया है।

आमतौर से देखा गया है कि जब अपनी कन्या विवाह के योग्य होती है तब लोग सुधार की, आदर्श की, सज्जनता की बातें करते हैं और अपनी गरीबी विवशता बताकर सस्ता विवाह करने का औचित्य बताते हैं। पर जैसे ही परिस्थिति बदली—अपना लड़का विवाह योग्य हुआ कि उनकी विचारधारा और कार्य पद्धति बिलकुल उलटी हो जाती है। लड़की के विवाह के दिनों जिस भाषा को बोल रहे थे उसे बिलकुल भूल जाते हैं और नये तरीके से बात करना शुरू करते हैं। पिछले दिनों वे अपनी कठिनाई की बात करते थे पर अब वे अपनी अमीरी और मालदारी का बखान करते नहीं थकते। उन दिनों सुधार और आदर्श के पक्ष में उनके पास अनेक दलीलें थीं। पर अब तो वे मौसी, चाची, नानी, दादी, बुआ, भाभी के आग्रह को प्रधानता देकर अपनी मजबूरी बताते हैं। कहते हैं कि वे लोग नहीं, बड़े-बूढ़ों की बात भी रखनी पड़ती है। घर में विरोध मोल लेना

ठीक नहीं। वे जैसे कहेंगी वैसे चलने की मजबूरी में हम क्या करें ? वे लोग ठाट-बाट का व्याह करना चाहती हैं, देन-दहेज की आतंकरती हैं तो अब उनके सामने क्या कहें ?

वकील जिस पक्ष का होता है उसी का समर्थन करने में अपनी बुद्धि और दलीलें उपस्थित कर देता है। कुछ दिन पहले अपनी काली लड़की का विवाह करना था तो रूप को प्रधानता देकर उसका विवाह अस्वीकार करने वाले जाटव थे जो चमड़े की परख करते हैं, अब अपने लड़के का विवाह है तो सफेद और नख-शिख से सुंदर कन्या चाहिए। क्या करें—मजबूरी हैं, उन्हें तो आपत्ति न थी पर लड़के की मौसी की, नानी की चलनी है। वे बेचारे क्या कर सकते हैं मजबूर हैं। वे पहले कहा करते थे अमीरों को गरीब घर लड़कियाँ लेकर उदारता का परिचय देना चाहिये, अब कहते हैं लड़के का रिश्ता अमीर घर में करेंगे ताकि अपनी आवरु और खुशहाली बढ़ सके, पहले दहेज माँगना बहुत बुरा था अब न देना बेटी का हक मारना' कहने लगे हैं। परिस्थिति बदलते ही आदमी कितना बदल जाता है और कथनी-करनी में कितना अंतर ले जाता है यह देखकर हैरत होती है।

रामलीला का स्वाँग जिन दिनों होता है उन दिनों हनुमान और काली के मुखौटे दस पैसे के बिकते हैं छोटे बच्चे उन्हें खरीद लाते हैं वे घर वालों का मनोरंजन करने के लिए कभी काली का मुखौटा लगाकर लकड़ी की तलवार से डराते हैं और कभी हनुमान बनकर उछलने लगते हैं। बच्चा खुश होता है कि वह कैसा सफल बहुरूपिया बन सका और वह घर वाले भी उसकी बाल चंचलता में रस लेते हैं। ठीक यही स्थिति हम सबकी है। लड़की का विवाह करना हो तो हनुमान का मुखौटा पहन कर भक्तों और देवताओं की पंक्ति में जाकर उठते हैं और जब लड़के की बारी आती है तब काली बनकर जीभ दिखाते हैं और तलवार धुमाते हुए दर्शकों को आतंकित करने का अभिनय बड़ी खुशी के साथ करने लगते हैं। राजनीति में 'दल-बदल' और सर्जरी में 'दिल-बदल' की इन दिनों बहुत चर्चा है। क्षण में, सुधारक क्षण में बिगाड़क के परिवर्तन की चर्चा भी इसी संदर्भ में जोड़ी जानी चाहिए।

### निष्कलता का ऋण—

बेर्इमान आदर्शी किसी आदर्श को नहीं निवाह सकते, इसलिए अपनी सुधारवादी चेष्टाएँ निष्कल होती चली जा रही हैं और कुरीतियों का त्रास घटने की अपेक्षा बढ़ता ही चला जा रहा है। इस विडंबना से हमें भली प्रकार परिचित होना चाहिए और उसकी आवश्यक रोकथाम करनी चाहिए अन्यथा अपने विवाहोन्माद विरोधी आंदोलनों की भी वही दुर्गति होगी जो अब तक के अन्य सुधार प्रयत्नों की होती रही है। बिना खर्च के विवाह करने के लिए लड़की के लिए अच्छा वर ढूँढ़ने वाले सहमत हो जाएँगे और सुधारवादियों की पंक्ति में अग्रणी दौखेंगे किंतु जैसे ही उनका लड़का विवाह के लिए होगा बिलकुल बदले हुए दिखाई देंगे। तब उस आंदोलन की व्यर्थता के संबंध में उनके पास हजार दलीलें होंगी। जहाँ ऐसी बेर्इमानी दिल में बैठी हो वहाँ मतलब सिद्ध करने के लिए लोग जाएँगे और स्वार्थ पूरा होते ही बदल जाएँगे। ऐसी दशा में आंदोलन सफल कैसे होगा ? लड़की वालों के प्रतिज्ञा पत्र बीस हजार आवेंगे और लड़के वालों के हजार तो फिर संबंधों का सुयोग कैसे मिलेगा ? और जिस प्रवाह को बहाना चाहते हैं उसे गति कैसे मिलेगी ? लड़के वाले भी इस ख्याल से कार्य करें कि बहुत से संबंधों की चर्चा चलेगी तब उनमें से मालदार का चुनाव कर लेंगे। अपने को घाटा ही क्या है ? गरीब लोग सामने आए तो मना करके अपने क्षेत्र में से ही कोई चिड़िया फँसायेंगे ? ऐसी मसखरी के लिए यदि लड़के वाले प्रतिज्ञा पत्र भरें तो यही अच्छा है कि 'कोयला की दलाली' में हमारे काले हाथ न कराए जाएँ। यदि सुधार वस्तुतः गले न उतरें तो उनसे इकार कर देना ही उचित है। यदि किसी बात से सहमत हों तो ईमानदारी से ही होना चाहिए। खरीदने के बाँट दूसरे और बेचने के बाँट दूसरे रखने वाले बेर्इमान दुकानदारों की तरह हमें लड़की के वक्त दूसरे और लड़के के वक्त दूसरे आदर्श बदल लेने की कुचेष्टा नहीं करनी चाहिए। आदर्श और आस्थाओं के साथ ऐसी खिलवाड़ करने से तो मनुष्य का कोई सिद्धांत और विश्वास ही न रहेगा। हवा के झोंके के साथ उड़ते रहने वाले पते की तरह ही यदि विश्वास बदलें तो फिर उसे मनुष्य ही नहीं कहना चाहिए फिर तो उसे प्रेत-पिशाचों की पंक्ति में बिठाया जाना चाहिए।

अतः समाज की इस महत्त्वपूर्ण आवश्यकता को समझने, स्वीकार करने के उपरांत हर व्यक्ति को यह बात गिरह बाँध लेनी चाहिए कि उस लड़की के लिए ही नहीं अपने लड़के के लिए भी वही रीति-नीति बरतनी है। लड़कियों की बात तो सरल है। मनाना और समझाना लड़के वालों को ही है। लड़की वाले जेवर न माँगने और धूमधाम का आग्रह न करने की बात आसानी से मान सकते हैं पर लड़के वालों के मुँह से टपकने वाली लालच की लार को काष्ठ में लाना कठिन है। जोर इस बात पर दिया जाना चाहिए कि विचारशील लोग आगे आएँ और अपना आदर्श उपस्थित करके जनसाधारण को यह प्रेरणा दें कि बिना खर्च की शादियाँ हो सकती हैं और वह खर्चोंले धूमधाम की अपेक्षा अधिक सफल रह सकती हैं।

### **सुनियोजित कार्यक्रम—**

यह विचार मूर्त्तरूप कैसे धारण करे इसके लिए नीचे कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इनको अपने से ही यह महान विचारधारा कार्यान्वित हो सकेगी।

आदर्श विवाह तभी संभव, सफल और आदर्श हो सकते हैं जब दोनों पक्ष समान विचार के हों। एक पक्ष आदर्शवादी हो और दूसरा रुद्धिवादी तो 'आधा तीतर बटेर' कहावत के अनुसार वह विवाह भी आधा सुधरा, आधा प्रतिक्रियावादी रहेगा। कभी-कभी तो यह मतभेद उग्र होकर संघर्ष और द्वेष का रूप धारण कर लेता है। जो बेमन से ठोक-पीटकर आदर्शवादी बनते हैं वे गुप्त रूप से दहेज आदि माँगते हैं और इच्छानुसार न मिलने पर किसी अन्य बहाने अपना रोष प्रकट करते हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि दोनों ही पक्ष आदर्शवादी विचारों के मिलें। यह खोज काफी कठिन होती है। धन, शिक्षा, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो अच्छे मिल जाते हैं पर विचारों के ताल-मेल न बैठने से उनको नीलामी बोली पर ही खरीदना संभव होता है। अस्तु हमें यह माध्यम दूँढ़ निकालना पड़ेगा जिसके अनुसार परस्पर विवाह संबंध करने वाली इकाइयों में जो प्रगतिशील विचारों के हों वे एक संगठन सूत्र में बैंधे हों और उनका परस्पर परिचय सुलभ हो

[४२] विवाह यज्ञ है इसे उद्धत उत्पात जैसा न बनाएं !

सके। इस वर्ग से अपनी-अपनी स्थिति के अनुकूल जोड़े ढूँढ़ लिए जाया करें। तब आदर्श विवाहों की परंपरा सरल ही जायगी।

कई जातीय पत्रों में वर-कन्या का परिचय विवरण छपता रहता है, उससे कुछ विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ऐसी जानकारी तो किसी भी कालेज में जाकर आसानी से प्राप्त की जा सकती है। जब तक लड़का और उसके घर वाले आदर्श रीति से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध न हों तब तक लड़कों की सूची छपना कुछ महत्त्व नहीं रखता। हमें उन जातीय इकाइयों को संघबद्ध करना पड़ेगा जो परस्पर विवाह-शादी करती हैं। इसके लिए दो उपाय हो सकते हैं—  
(१) प्रगतिशील जातीय समाओं का संगठन। (२) उन संगठनों द्वारा आयोजित वार्षिकोत्सव या जातीय मेले। दोनों की रूपरेखाएँ आगे प्रस्तुत की जाती हैं—

### जातीय संगठन आगे आएं—

यों रुद्धियों के समर्थक पंच-चौधरियों का मान बढ़ाने के लिए अभी भी बहुत-सी जातीय समाएँ बनी हुई हैं। पर उनका स्वरूप और उद्देश्य बारीकी से देखने पर पता चलता है कि एकाध छोटी-मोटी सुधार की बात रखकर अधिकांश में वे रुद्धिवाद का पोषण करती हैं और संकीर्णता, पृथकता एवं जन्म-जाति के बड़प्पन का समर्थन करती हैं। इसीलिए विचारवान् एवं प्रगतिशील लोग इन जातीय संगठनों को अनुपयोगी एवं हानिकारक मानकर उनसे उपेक्षा या घृणा का भाव रखते हैं, जो उचित भी है।

हमें जातीय संगठनों की आवश्यकता अनुभव हो रही है पर उनका उद्देश्य सर्वथा भिन्न है। हम सामाजिक क्रांति के एक महान मिशन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसमें विवाहों में होने वाले अपव्यय को रोकना हमारा प्रथम मोर्चा है। इसके लिए पृष्ठभूमि तैयार करनी है। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई प्रगतिशील विचार के लोगों का परस्पर परिचय न होना है। चूँकि अभी लोग छोटी-छोटी जातीय इकाइयों में ही विवाह-शादी करते हैं इस दायरे को बढ़ाना आदर्श विवाहों से भी अधिक कठिन है। इसलिए आदर्श विवाहों को ही हाथ में लिया जाए और विवाहों की जातीय इकाइयों को उतना ही बढ़ाया जाए जितना कि वर्तमान परिस्थितियों में—आरंभिक प्रयास में संभव

है। इसमें उन जातियों के बंधन ढीले करने तक की बात ही अभी व्यवहारिक हो सकती है। अस्तु हमें हर जाति की प्रगतिशील सभाएँ गठित करनी चाहिए इनका उद्देश्य कुरीतियों का उन्मूलन एवं स्वस्थ परंपराओं का प्रचलन हो।

इन सभाओं के सदस्य केवल वे बनाए जाएँ जो विवेक एवं औचित्य पर आस्था रखते हों। सदस्यता के प्रतिज्ञा पत्र में यह बातें लिखी हुई हों। भले ही आरंभ में संख्या थोड़ी हो और उसमें “बड़े लोग” भले ही सम्मिलित न हों पर यह ध्यान रखा जाए कि इन संगठनों में रहें वे लोग जो सुधारवाद पर विश्वास रखते हों। प्रयत्न करके ऐसे लोग ढूँढ़े और पैदा किए जाएँ, इसमें देर लगे तो हर्ज नहीं। पर जल्दी से बड़ी सभा बना लेने के मोह में रुद्धिवादियों को उसमें भर लेने से अपनी मनमानी चलाएँगे और संगठन का उद्देश्य ही नष्ट कर देंगे।

यह शुभारंभ अपने युग-निर्माण परिवार से ही आरंभ होता है, इसलिए लोगों को अपनी-अपनी प्रगतिशील जातीय सभाओं के संगठन की तैयारी में लग जाना चाहिए। सभाओं की रूपरेखा अलग अंक में प्रस्तुत करेंगे।

जिन जाति-उपजाति में परस्पर विवाह हो सकता है उनके क्षेत्रीय मेले-सम्मेलन तीन दिन के हुआ करें। इनमें प्रवचन भाषण ही नहीं, मनोरंजन के मेले जैसे आयोजन भी रहें। ठहरने और खाने का उचित प्रबंध रहे। उन मेलों में उस क्षेत्र के लोग जहाँ समाज सुधार, ज्ञान चर्चा, संगठन व्यवस्था आदि की बातें कहें-सुनें वहाँ परस्पर परिचय बढ़ाकर अपने बच्चों के विवाह-शादी की समस्या भी सुलझाएँ। हो सके तो विवाह योग्य लड़का-लड़की को भी साथ लेते आएं, जिससे संबंध करने में और भी अधिक सुविधा हो सके।

ऐसे जातीय मेलों की तारीख तथा स्थान नियत रहे। पचास-पचास मील चारों ओर का घेरा एक मेले का विशेष कार्य क्षेत्र माना जाए। इस प्रकार सौ मील लंबाई-चौड़ाई का एक क्षेत्र उस मेले से संबंधित हो। इससे उस प्रदेश के लोग परस्पर परिचित हो जाएँगे, उपयुक्त जोड़े ढूँढ़ने में अधिक आसानी से सफल हो जाया करेंगे।

ऐसे मेले उन प्रदेशों के अलग-अलग क्षेत्रों में होते रहें जहाँ से परस्पर विवाह करने वाली जाति-उपजातियाँ फैली हुई हों।

इन मेलों के जो जातीय वार्षिक सम्मेलन हों उनमें संगठन एवं प्रगतिशीलता की योजना विशेष रूप से बनाई जाए और उसी तरह के भाषण, प्रवचन एवं विचार-विनियम होते रहें। इन सम्मेलनों में सामूहिक विवाहों का भी आयोजन हो। ऐसे विवाह बहुत ही सस्ते पड़ते हैं और दूर-दूर तक कुरीति विरोधी आंदोलन की सफलता का प्रचार करते हैं। बिहार के मैथिल ब्राह्मणों में तथा पंजाब के सिखों ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई भी है। आवश्यकता, इस बात की है कि ऐसे जातीय मेले जो आदर्श विवाहों का उद्देश्य पूरा करने में सहायक हों, जगह-जगह लगाए जाएँ और इन्हें सफल बनाया जाए। जबकि निरर्थक मेले हर साल हजारों की संख्या में होते रहते हैं तो कोई कारण नहीं कि विचारशील लोगों द्वारा, सदुदेश्य के लिए सूझबूझ के साथ लगाए गए यह मेले सफल न हों। इनमें विवाह-शादियों के अतिरिक्त सामूहिक यज्ञोपवीत आदि भी हो सकते हैं और अन्य अनेक कुरीतियों का निवारण तथा जातीय समस्याओं का हल हो सकता है। ध्यान रखने की बात इतनी ही है कि इन सम्मेलनों में प्रगतिशील लोगों की प्रमुखता हो। भावावेश में उनका संचालन तथा कथित बड़े आदभियों के हाथों दे दिया गया तो वे लाल बुझकरड़ इस माध्यम का उपयोग संकीर्णता एवं रुद्धिवादिता फैलाने में करने लगेंगे। इससे अपना मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा।

**आदर्श विवाहों का अभिनंदन—**

सामाजिक कुरीतियों को कुचलते हुए, प्रतिक्रियावादियों का उपहास व्यंग एवं विरोध सहते हुए जिन लोगों ने इस प्रकार का साहस प्रदर्शित किया है, लोगों की परवाह न करते हुए विवेक को महत्व दिया है, निस्संदेह व साहसी, शूर, आदर्शवादी और नेतृत्व कर सकने की क्षमता संपन्न व्यक्ति हैं। उनकी प्रशंसा और प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जहाँ वीर पूजा नहीं होती वह भूमि वीर विहीन हो जाती है इसलिए प्रयत्न यह किया जाना चाहिए कि इन आदर्शवादी विवाहों को, उनके संयोजकों को विवेकशील लोगों का समर्थन, सहयोग, सद्भाव एवं आशीर्वाद प्राप्त हो।

ऐसे विवाहों के अवसर पर सभ्रांत लोगों के पास स्वयं व्यक्तिगत अनुरोध एवं निवेदन लेकर जाना चाहिए और उन्हें अधिकाधिक संख्या में एकत्रित करना चाहिए। जितने अधिक लोग इस प्रकार के आयोजनों को देखेंगे उतनी ही चर्चा फैलेगी और अपने उद्देश्य की पूर्ति संभव हो सकेगी। इसलिए काफी दिन पहले से यह नियंत्रण देने आरम्भ करने चाहिए।

ऐसे उत्सवों में उपस्थित सज्जन आशीर्वाद एवं समर्थन देने आएँ उनमें जो भाषण कर सकते हों वे खड़े होकर अपने विचार भी व्यक्त करें। फूल माला लेकर सभी आगंतुक आएँ और उन्हें दोनों ओर के अभिभावकों को पहनाएँ, जिन्होंने यह साहस प्रदर्शित किया। छपे अभिनंदन पत्र भेट करने की व्यवस्था हो सके तो और भी उत्तम है। उस नगर में या आसपास जो सार्वजनिक संस्थाएँ हों वे भी अपनी और से अभिनंदन करें। युग निर्माण शाखाओं को तो विशेष उत्साहपूर्वक ऐसे आयोजनों का अभिनंदन करना चाहिए। जहाँ जुलूस संभव हो वहाँ वह भी निकाले जाएँ और लाउडस्पीकरों से उस विवाह की विशेषता जनता को बताई जाए। आशीर्वाद देने वाले व्यक्ति भोजन स्वीकार न करें। इलाइची जैसा छोटा सत्कार ही पर्याप्त माना जाए।

आदर्श विवाहों की ख्याति दूर-दूर तक फैलानी चाहिए ताकि वैसा करने का उत्साह दूसरे लोगों में भी उत्पन्न हो। हमारे देश में अभी विवेकशीलता जागृत नहीं हुई है हर बात 'भेड़िया धसान' की तरह एक-दूसरे की देखा-देखी होती है। लोग कर चाहते हुए भी किसी सुधार को साहस के अभाव में अपना नहीं पाते, पर जब उन्हें पता लगता है कि ऐसा तो अन्य कितने ही लोग रहे हैं। तब उनकी हिम्मत बढ़ जाती है और वे वैसा ही करने को उद्यत हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक शुभ कर्म का अधिकाधिक प्रचार होना चाहिए। विशेषतया आदर्श विवाहों की ख्याति तो दूर-दूर तक अवश्य ही फैलाई जानी चाहिए। समाचार पत्रों में ऐसे समाचार अवश्य भेजे जाएँ।

जहाँ समाचार पत्र नहीं पहुँचते वहाँ पर्चे विज्ञाप्ति आदि छपवाकर वह समाचार घर-घर पहुँचाया जा सकता है और पोस्टर दीवारों, खंभों आदि पर चिपकाए जा सकते हैं, और भी तरीके ऐसे

■■■■■ विवाह यज्ञ है इसे उद्घात उत्पात जैसा न कराए ! ■■■■■

समाचारों को दूर प्रदेशों तक अधिक जनता तक पहुँचाए जाने के लिए संभव हों वे सभी करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि बढ़ती हुई सुधारात्मक प्रवृत्तियों का परिचय अधिकाधिक जनता को हो सके और सर्व साधारण के मन में उसी तरह की अनुकरण आकौशा जागृत हो सके।

कमर तोड़ खर्चीले विवाहों की कुरीति को त्यागने के लिए विचारशील लोगों से प्रतिज्ञा पत्र भराए जाएं कि अवसर आने पर अपने बच्चों की शादी आदर्श विवाह वाली संहिता के अनुसार ही करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा सर्व साधारण से कराई जाए। इसके लिए जो छपे हुए प्रतिज्ञा पत्र हों उन्हें खेल कौतूहल की दृष्टि से नहीं बरन् ईश्वर को साक्षी देकर भरा जाना चाहिए और प्रण के निवाहने की दृढ़ता के साथ उसे निवाहा जाना चाहिए।

छात्रों, छात्राओं एवं अविवाहितों से भी ऐसे पत्र भराए जाने चाहिए जिनमें आदर्श विवाह न होने पर अविवाहित ही रहने की प्रतिज्ञा हो। जो युवक ऐसे प्रतिज्ञा पत्र भरें वे अपने अभिभावकों को भी इसकी सूचना दे दें ताकि उन्हें विरोध-प्रतिरोध का सामना न करना पड़े।

समाज निर्माण की पुण्य प्रवृत्ति में जिन्हें भावना एवं उत्साह हो वे ऐसी प्रतिज्ञापत्र पुस्तिकाएँ अपने साथ रखें और जहाँ जाएं वहीं अपनी बात का प्रचार करें, जो सहमत हो जाएँ उनसे फार्म भरा लें और साथ ही 'धन्यवाद का अभिनंदन पत्र' भी उन्हें दे दें।

इस प्रकार की प्रतिज्ञा फार्मों की पुस्तिकाएँ तथा स्वीकृति के सुन्दर अभिनंदन प्रमाण-पत्रों की पुस्तिकाएँ युग-निर्माण योजना के केन्द्रीय कार्यालय में छापी जा रही हैं। आवश्यकतानुसार शाखाएँ उन्हें अपने यहाँ मैंगालें और कार्यकर्त्ताओं के लिए सुलभ बनाएँ। यह पुस्तिकाएँ लागत से भी कम मूल्य पर प्रस्तुत की गई हैं।

यह हस्ताक्षर आंदोलन तेजी से चलाया जाना चाहिए और प्रत्येक कार्यकर्त्ता को इस प्रकार के प्रयत्न को अपना एक आवश्यक कर्म मानकर उसके लिए सचेष्ट रहना चाहिए।



## सुधार प्रतिरोध और असहयोग

जहाँ विवाहों में अपव्यय करने का पागलपन गहराई तक जड़ जमाए बैठा हो, वहाँ यह आशा नहीं की जा सकती कि प्रचार से ही सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए उस किसान से प्रेरणा लेनी पड़ेगी जो अवांछनीय झाड़-झांखाड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए उनकी जड़ों पर अपने पैने औजारों से तीव्र प्रहार करता है। कूड़ा-करकट अपने आप नहीं हटता और उसे झाड़ से घसीट कर बाहर करना होता है। कुरीतियाँ अपने आप मिट्टने वाली नहीं हैं उनके विरुद्ध संघर्ष करना पड़ेगा और उस संघर्ष में अपने को कुछ छोट पहुँचती हो तो उस धर्मवीरों की परंपरा के अनुसार त्याग-बलिदान का छोटा-सा सौभाग्य मानने के लिए तैयार रहना चाहिए।

हम में से जिनका प्रभाव जहाँ हो, वहाँ उस प्रभाव का उपयोग करके इन कुरीतियों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने घर मित्र, एवं रिश्तेदारों में तो ऐसा सुझाव बलपूर्वक भी किया जा सकता है और यदि वे न मानें तो अपने असहयोग की, उस विवाह में सम्मिलित न होने की बात भी कही जा सकती है।

जिन विवाहों में अपने को सम्मिलित होने का अवसर मिले उनमें पूर्णतया न सही, जितना कुछ वश चले, २४ में से जितने भी सूत्र जितने अंशों में भी कार्यान्वित किए जा सकें उसके लिए जोर देना चाहिए। जो अन्य प्रभावशाली व्यक्ति उस उत्सव में आते हों उनमें से कोई विचारवान दीखें तो उनके माध्यम से प्रभाव डलवाना चाहिए ताकि जितने अंशों में कुरीतियाँ हटा सकें उतना तो किया ही जाए। आदर्श विवाह आंदोलन के संबंध में छपे ट्रैक्ट भी ऐसे अवसरों पर उन्हें पढ़ा-सुनाकर ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि सुधारवादी विचारधारा के लिए कोई स्थान उनके मन में बने। यह सब काम बिना कटु संघर्ष के चतुरता एवं बुद्धिमत्ता द्वारा मधुरता के वातावरण में भी संपन्न हो सकते हैं।

असहयोग वहीं करना चाहिए जहाँ अपना दबाव हो। अन्य विवाहों में सम्मिलित होकर अपनी विचारधारा के पक्ष में जितना भी वातावरण बन सके उतना बनाना चाहिए। रुठ बैठना या ऐसे पुराने ढर्रे से जहाँ विवाह हो रहा हो वहाँ नहीं जाना इस प्रकार का असहयोग व्यर्थ है। वहाँ तो भीतर घुसकर ही कुछ काम हो सकता है।

यों कानून द्वारा भी दहेज, अधिक बारात ले जाने पर कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं पर उनका प्रयोग न करके जहाँ तक संभव हो सके प्रेम, मधुरता, प्रचार, समझाना, धमकी, नाराजी आदि शस्त्रों से ही काम लेना चाहिए। जहाँ अनिवार्य हो जाए वहीं कानूनी सहायता ली जाए।

संसार में जितने भी महत्वपूर्ण जन आंदोलन चले और सफल हुए हैं उनके पीछे भावनाशील, उच्चचरित्र, आदर्शवादी लोक सेवकों की शक्ति ही प्रधान आधार रही है। इस बल के अभाव में अन्य साधन कितने ही अधिक होने पर भी कोई बड़ा काम, खास तौर से नव-निर्माण जैसा महान अभियान सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस बात का घोर प्रयत्न करना होगा कि कुछ व्यक्ति भजन करके स्वर्ग प्राप्ति के लिए लाल कपड़े वाले बाबाजी जिनके बच्चे समर्थ होकर कमाने-खाने लगे हैं। जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी नहीं है वे वानप्रस्थ की तरह अपने घर रहते हुए भी अपने क्षेत्र में प्रकाश स्तम्भ की तरह काम कर सकते हैं। जिनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं वे भी अवकाश का थोड़ा-बहुत समय समाज सेवा के लिए लगा सकते हैं। इस समय दानी-दानशील लोगों के भागीरथ प्रयत्नों से ही आदर्श विवाहों की प्रथा का प्रचलन संभव हो सकेगा और विवाह-समारोहों का औद्धृत्यपूर्ण स्वरूप समाप्त होकर सच्चे अर्थों में विवाह-यज्ञों की परंपरा गतिशील होगी।

